

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 433/2022

PATESHWARI PRASAD SINGH

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

...RESPONDENTS

INDEX

S.N O	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY ON BEHALF OF ADDITIONAL CHIEF SECRETARY, MINORITY WELFARE AND WAQF DEPARTMENT, DIRECTORATE OF MINORITY WELFARE, UTTAR PRADESH LUCKNOW ALONG WITH SUPPORTING AFFIDAVIT.	1-14
2.	<u>ANNEXURE 1.</u> Copy of Letter No. NGT-224/N-5-2024-18 Writ/2024 dated 14.08.2024, issued by the Urban Development Department, requesting the Director, Minority Welfare Department, to expedite the release of funds for the project.	15
3.	<u>ANNEXURE 2.</u> Copy of the approval granted at the district level for the Sewage Treatment Plant (STP) in Balrampur District under the Prime	16-17

	<b>Minister's Jan Vikas Karyakram (PMJVK), dated 06.12.2018.</b>	
4.	<b><u>ANNEXURE 3.</u></b> Copy of the approval granted by the <b>State-Level Committee</b> , chaired by the Chief Secretary, Uttar Pradesh, in its meeting held on <b>09.01.2019</b> .	<b>18-19</b>
5.	<b><u>ANNEXURE 4.</u></b> Copy of the approval granted by the <b>12th Empowered Committee of the Ministry of Minority Affairs, Government of India</b> , in its meetings held on <b>18.01.2019 and 31.01.2019</b> .	<b>20-23</b>
6.	<b><u>ANNEXURE 5.</u></b> <b>Copy of the financial sanction order for the first installment of the Central Share, issued on 15.02.2019</b> , releasing ₹3,094.08 lakh for project execution.	<b>24-27</b>
7.	<b><u>ANNEXURE 6.</u></b> <b>Copy of the financial sanction order</b> released by the State Government order No. 43/19/1038/52-1-2019-13(PMJVK)/19 <b>for the first installment issued on 19.09.2019</b> , releasing ₹3,094.08 lakh for project execution.	<b>28-32</b>
8.	<b><u>ANNEXURE 7.</u></b> <b>Copy of the financial sanction order</b> released by the State Government order No. Government Order No. 68/2023/1051/52-1-23-13 Date-27.09.2023 released 50% of the 2 <sup>nd</sup> Installment of Rs. 1547.04 Lakh, in anticipation of the release of the central share.	<b>33-37</b>
9.	<b><u>ANNEXURE 8.</u></b> <b>Copy of Directorate Letter No. 2274 dated 03.08.2023</b> forwarded a Utilization Certificate for <b>₹4,641.12 lakh</b> . to the State Government.	<b>38</b>
10	<b><u>ANNEXURE 9.</u></b> <b>Copy of State Govt. Letter No. 873 dated 10.08.2023</b> , forwarded a Utilization Certificate for <b>₹4,641.12 lakh</b> to the	<b>39-41</b>

	Ministry of Minority Affairs, Government of India,	
11	<b><u>ANNEXURE 10.</u></b> Copy of D.M balrampur. 204/M.W.D /PMJVK/2024-25 Date 26.06.2024 submitted the utilization certificate quality inspection report conducted by Department of civil engineering Indian Institute of Technology, Kanpur.	42-62
12	<b><u>ANNEXURE 11.</u></b> Copy of directorate vide letters No. 1757 Dated 18.07.2024 instructed the implementing agency to rectify the mistakes/shortcomings observed in the report of inspecting authority and re-submit the utilization certificate and compliance after due verification and satisfactory report from the same inspecting authority.	63
13	<b><u>ANNEXURE 12.</u></b> Copy of directorate vide letters No. 3215 dated 21.10.2024 instructed the implementing agency to rectify the mistakes/shortcomings observed in the report of inspecting authority and re-submit the utilization certificate and compliance after due verification and satisfactory report from the same inspecting authority.	64
14	<b><u>ANNEXURE 13.</u></b> Copy of directorate vide letters No. 3808 dated 05.12.2024 instructed the implementing agency to rectify the mistakes/shortcomings observed in the report of inspecting authority and re-submit the utilization certificate and compliance after due verification and satisfactory report from the same inspecting authority.	65-66
15	<b><u>ANNEXURE 14.</u></b> Copy of directorate vide letters No. 3970 dated 17.12.2024 instructed the implementing agency to rectify the mistakes/shortcomings observed in the report of inspecting authority and re-submit the utilization certificate and compliance after due	67-68

	verification and satisfactory report from the same inspecting authority.	
16	<b><u>ANNEXURE 15.</u></b> Copy of directorate vide letters No. 4124 dated 31.12.2024 instructed the implementing agency to rectify the mistakes/shortcomings observed in the report of inspecting authority and re-submit the utilization certificate and compliance after due verification and satisfactory report from the same inspecting authority.	69
17	<b><u>ANNEXURE 16.</u></b> Copy of directorate vide letters No. 4358 dated 17.01.2025 instructed the implementing agency to rectify the mistakes/shortcomings observed in the report of inspecting authority and re-submit the utilization certificate and compliance after due verification and satisfactory report from the same inspecting authority.	70-72
18	<b><u>ANNEXURE 17.</u></b> Copy of directorate vide letters No. 4510 dated 03.02.2025 instructed the implementing agency to rectify the mistakes/shortcomings observed in the report of inspecting authority and re-submit the utilization certificate and compliance after due verification and satisfactory report from the same inspecting authority.	73-74
19	<b><u>ANNEXURE 18.</u></b> Copy of Letter No. 1004/52-1-2023-13 (MSDP)/17 TC dated 14.09.2023, submitted to the Ministry of Minority Affairs, requesting the immediate release of the pending ₹259 crore Central Share.	75-76
20	<b><u>ANNEXURE 19.</u></b> Copy of Letter No. 1066/52-1-2023 dated 07.10.2023, further emphasizing financial bottlenecks and their impact on project	77-79

	execution.	
21	<b><u>ANNEXURE 20.</u></b> Copy of Letter No. 41/52-1-2024 dated 10.01.2024, urging urgent intervention by the Ministry to facilitate the immediate release of funds to sustain project momentum.	80-82
22	<b><u>ANNEXURE 21.</u></b> Copy of Letter No. 208/52-1-2024 dated 16.02.2024, reiterating the necessity for fund disbursal to prevent project stagnation and align with national development objectives.	83-88
23	<b><u>ANNEXURE 22.</u></b> Copy of Letter No. 1058/52-1-2024 dated 05.11.2024, enclosing compliance reports and financial details to substantiate the fund release request, demonstrating transparency and accountability.	89-90

**THROUGH**

*Priyanka*

Date: 09.02.2025

Place: New Delhi

**PRIYANKA SWAMI**

ADVOCATE

STANDING COUNSEL FOR STATE, UTTAR PRADESH

F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014

E-mail: [advpriyankaswami@gmail.com](mailto:advpriyankaswami@gmail.com)

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 433/2022

PATESHWARI PRASAD SINGH

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

...RESPONDENTS

REPLY ON BEHALF OF ADDITIONAL CHIEF SECRETARY, MINORITY WELFARE AND WAQF DEPARTMENT, DIRECTORATE OF MINORITY WELFARE, UTTAR PRADESH LUCKNOW ALONG WITH SUPPORTING AFFIDAVIT.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH.

1. That it is humbly submitted before this Hon'ble Tribunal that the Minority Welfare Department is filing the present reply in compliance with the directions contained in the Hon'ble National Green Tribunal's order dated 19.12.2024. The matter pertains to the ongoing construction of a Sewage Treatment Plant (STP) in District Balrampur under the Prime Minister's Jan Vikas Karyakram (PMJVK). The following facts are placed for the kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

2. That pursuant to the affidavit submitted by the Urban Development Department in OA No.433/2022 The Hon'ble Tribunal vide its order dated 19.12.2024 observed that the remaining funds required for the completion of the sewerage system and STP construction has not been released by the Director, Minority Welfare and Waqf Department, Directorate of Minority Welfare, Uttar Pradesh Lucknow. The Tribunal noted the significance of timely fund release for ensuring successful completion and directed the Minority Welfare Department to file a comprehensive response on the current status and steps taken for compliance. Copy of **Letter No. NGT-224/N-5-2024-18 Writ/2024 dated 14.08.2024**, wherein the Urban Development Department formally requested the Director, Minority Welfare Department, to expedite the release of funds, is annexed herein as **Annexure-1.**
  
3. It is respectfully submitted that the project for the construction of the STP in Balrampur was initially approved during a District Level Committee meeting convened on **06.12.2018**, as part of the PMJVK. The meeting involved a thorough assessment of project feasibility, community benefits, and alignment with national development goals. Copy of the District Level Committee meeting minutes dated **06.12.2018** is annexed herein as **Annexure-2.**
  
4. That the project subsequently received approval from the State Level Committee chaired by the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, in its meeting held on **09.01.2019**. Copy of the State Level Committee meeting approval dated **09.01.2019** is annexed herein as **Annexure-3.**

5. It is further respectfully submitted that the Empowered Committee of the Ministry of Minority Affairs, Government of India, reviewed and sanctioned the project in its meetings held on **18.01.2019 and 31.01.2019**. These approvals reflected the Government's commitment to infrastructure development in minority-dominated areas. Copy of the Empowered Committee approval is annexed herein as **Annexure-4**.
6. That the project, involving a total approved cost of **₹12,376.32 lakh**, was sanctioned with equal contributions of **₹6,188.16 lakh** each from the State and Central Governments. A detailed table of project components is reproduced below:

Sr. No.	District	Project Name	Percentage (Central/State)	Units	Unit Cost (₹ in lakh)	Total Cost (₹ in lakh)	Central Share (₹ in lakh)	State Share (₹ in lakh)
1	Balrampur	Sewage Treatment Plan (7 Parts)	50:50	7	499.35	3495.45	1747.73	1747.73
2	Balrampur	Sewage Treatment Plan (19 Parts)	50:50	19	369.73	7024.87	3512.44	3512.44
3	Balrampur	Sewage Treatment Plan (5 Parts)	50:50	5	371.20	1856.00	928.00	928.00
		<b>Total</b>				<b>12376.32</b>	<b>6188.16</b>	<b>6188.16</b>

7. It is humbly submitted that the first installment of the Central share amounting to **₹3,094.08 lakh** was released on **15.02.2019** by the Ministry of

Minority Affairs, Government of India. This initial release facilitated the commencement of project activities and laid the foundation for subsequent development. Copy of the release order for the first installment is annexed herein as Annexure-5.

8. That State Government by Government order No. 43/19/1038/52-1-2019-13(PMJVK)/19 Date-19.09.2019 released 1<sup>st</sup> Installment of Rs. 3094.08 Lakhs. The copy of the order is annexed herein as Annexure-6.

9. That Government Order No. 68/2023/1051/52-1-23-13 Date-27.11.2023 released 50% of the 2<sup>nd</sup> Installment of Rs. 1547.04 Lakh, in anticipation of the release of the central share. Copy of the order is annexed herein as Annexure-7. The detailed table of releases made against the projects is reproduce below.

Sr. No.	District	Project Name	Total Cost (₹ in lakh)	Releases Till date		
				Central Share (₹ in lakh)	State Share (₹ in lakh)	Total
1	Balrampur	Sewage Treatment Plant	12376.32	3094.08	4641.12	7735.20

10. That the Directorate vide Letter No. 2274 dated 03.08.2023 and State Govt. Letter No. 873 dated 10.08.2023, forwarded a Utilization Certificate for ₹4,641.12 lakh to the Ministry of Minority Affairs, Government of India, representing 75% of the allotted 1<sup>st</sup> Installment of Central and State

share amounting to Rs. 6188.16 Lakhs. Copy of **Letter No. 2274 dated 03.08.2023 and Letter No. 873 dated 10.08.2023**, forwarding the Utilization Certificate, is annexed herein as **Annexure-8 & 9.**

11. That the Implementing agency vide Letter No. 204/M.W.D/PMJVK/2024-25 Date 26.06.2024 submitted the utilization certificate representing 100% of the till date released amount of Rs. 7735.20 Lakhs along with quality inspection report conducted by Department of civil engineering Indian Institute of Technology, Kanpur. **Annexure 10 (A).**
12. That the inspecting authority pointed out that “....there are signs of plastering on columns and tank walls, probably due to poor form work used and lack of sufficient vibrations during concrete work....locations of repair works, perhaps due to poor form work. These locations may be further probed and rectified.” The inspecting authority made 12 other observations to be noted for further and future works for improvement in quality. Detail report is annexed as **Annexure 10 (B).**
13. That the directorate vide letters No. 1757 Dated 18.07.2024, letter No. 3215 dated 21.10.2024, letter No. 3808 dated 05.12.2024, letter No. 3970 dated 17.12.2024, letter No. 4124 dated 31.12.2024, letter No.4358 dated 17.01.2025 and letter No. 4510 dated 03.02.2025 instructed the implementing agency to rectify the mistakes/shortcomings observed in the report of inspecting authority and re-submit the utilization certificate and compliance after due verification and satisfactory report from the same inspecting authority. **Annexure 11 to 17.**

14. That the said compliance report is still awaited from the implementing agency.

15. It is respectfully submitted that despite continuous efforts, the release of balance Central Share amounting Rs. 3094.08 Lakhs from the Ministry of Minority Affairs, Government of India, remains awaited. Multiple request letters have been sent to Ministry of Minority Affairs, Govt. of India.

A. Letter No. 1004/52-1-2023-13 (MSDP)/17 TC dated 14.09.2023 Annexure 18

B. Letter No. 1066/52-1-2023 dated 07.10.2023 Annexure 19

C. Letter No. 41/52-1-2024 dated 10.01.2024 Annexure 20

D. Letter No. 208/52-1-2024 dated 16.02.2024 Annexure 21

E. Letter No. 1058/52-1-2024 dated 05.11.2024 Annexure 22

16. It is further respectfully submitted that in light of order dated 19.12.2024 passed by the Hon'ble Tribunal, Rs.300.00 lakh has been released to the implementing agency vide G.O. 01/2025/64/52-1-2025-13(PMJVK)/2019 Date. 06.02.2025 against the aforesaid project of STP Balrampur.

17. That it is, therefore, most humbly prayed that the Hon'ble Tribunal may graciously take the present reply on record and it is further submitted that the Department of Minority Welfare & Waqf, Uttar Pradesh Lucknow will release as per guidelines of the scheme, the remaining amount against the project on receiving Utilization Certificate from the implementing agency

against released amount till date and pending Central Share of Rs. 3094.08 Lakhs from the Ministry of Minority Affairs, Govt. of India.

**THROUGH**



Date: 09.02.2025  
Place: New Delhi

**PRIYANKA SWAMI**  
ADVOCATE  
STANDING COUNSEL FOR STATE, UTTAR PRADESH  
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014  
E-mail:[advpriyankaswami@gmail.com](mailto:advpriyankaswami@gmail.com)

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 433/2022



PATESHWARI PRASAD SINGH

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

...RESPONDENTS

**AFFIDAVIT**

I, Ankit Kumar Agrawal aged about 38 years s/o Shri Shankar Agrawal is presently posted as DIRECTOR, MINORITY WELFARE AND WAQF DEPARTMENT, DIRECTORATE OF MINORITY WELFARE, UTTAR PRADESH. having an office at LUCKNOW, UTTAR PARDESH.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit on behalf of **additional chief secretary, minority welfare and waqf department** before this Tribunal.
2. That the accompanying reply has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying reply are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.



1.

*[Handwritten mark]*

DEPONENT

VERIFICATION

OATH COMMISSIONER

Verified on solemn affirmation at Lucknow on this 10<sup>th</sup> day of Feb 2025, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

*[Handwritten mark]*

OATH COMMISSIONER


DEPONENT

Solemnly affirmed before me on 10/2/25  
at 09:35 am/pm the deponent Asim Agrewal  
who is identified by R.K. Verma  
High Court, Lucknow Bench

OATH COMMISSIONER

OATH COMMISSIONER

*[Handwritten signature]*  
9046103  
Advocate



*[Handwritten signature]*  
R.K. Verma  
OATH COMMISSIONER  
High Court, Allahabad  
Lucknow Bench, Lucknow  
S No. 027690 Date 10/2/25

N/GT- समयबद्ध/महत्वपूर्ण  
संख्या:-224 / नौ-5-2024-18रिट/2024

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,  
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग,  
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय,  
उ0प्र0 शासन, 620 इन्दिरा भवन,  
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2024

विषय:-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत/निर्माणाधीन सीवरेज सिस्टम एवं एस0टी0पी0 निर्माण कार्य (फेज-1) की अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 12376.33 लाख है, जिसके सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में क्रमशः रू0 6188.16 लाख एवं रू0 1547.04 लाख प्राप्त है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना एवं मा0 एन0जी0टी0 से आच्छादित है, जिसको शीघ्र पूर्ण कराकर जनोपयोगी बनाया जाना शीर्ष प्राथमिकता का विषय है। उक्त परियोजना के कार्यों हेतु कुल अवमुक्त धनराशि रू0 7735.20 लाख का उपभोग प्रमाण-पत्र कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), बलरामपुर के पत्र संख्या-337/कार्य-91/25 दिनांक 01.04.2024 के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया गया है एवं परियोजना की अवशेष धनराशि जानी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। साथ ही परियोजना की थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपको प्रेषित की जा चुकी है। परन्तु अभी तक परियोजना के कार्यों की अवशेष धनराशि अवमुक्त नहीं हुई है, फलस्वरूप परियोजना के कार्यों की प्रगति बाधित हो रही है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में स्वीकृत/निर्माणाधीन सीवरेज सिस्टम एवं एस0टी0पी0 निर्माण कार्य (फेज-1) योजना बलरामपुर के कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 4641.13 लाख अवमुक्त कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
14.08.2024  
( कल्याण बनर्जी )  
संयुक्त सचिव।

## प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक दिनांक-08.12.2018 की कार्यवृत्त

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पुर्नगठित एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदनार्थ जनपद स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक दिनांक 08.12.2018 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेड सभागार में सम्पन्न हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही-

- 1-जिलाधिकारी, महोदय बलरामपुर।
- 2-प्रतिनिधि मा0विधायक गैसडी।
- 3-मुख्य चिकित्साधिकारी, महोदय बलरामपुर।
- 4-अधिकाषी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बलरामपुर।
- 5-अधिकाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम, बलरामपुर।
- 6-अधिकाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बलरामपुर।
- 7-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर।

सर्वप्रथम जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के समस्त विकास खण्ड व नगर पालिका परिषद, बलरामपुर को आच्छादित किया गया है। उक्त योजनान्तर्गत जनपद के मा0 जनप्रतिनिधियों व विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव जैसे-सदभाव मण्डप, प्रा0/उ0प्रा0स्कूल व मदरसों में स्मार्ट क्लास की स्थापना, प्रा0/उ0प्रा0 स्कूल में चहारदीवारी का निर्माण, पेयजल परियोजनाएँ, जनपद के विभिन्न सड़को पर पुलिया/सेतु निर्माण, Working Women Hostel, Agriculture Market Shed, अण्डार ग्राउड केबलिंग, मेमो0 चिकित्सालय में ओ0पी0डी0 का निर्माण, प्रा0स्वा0केन्द्र में बाउंड्रीवाल का निर्माण आदि उपलब्ध कराये गये हैं। जिन्हे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार की गाइड लाईन के अनुसार खण्ड विकास स्तरीय समिति से अनुमोदित करा लिया गया है। जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के अनुमोदनोपरान्त उक्त प्रस्ताव को शासन प्रेषित किया जाना है।

बैठक में समिति द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त उक्त योजना की गाइड लाईन के अनुसार सभी अनुमन्य परियोजनाओं के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया, तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अनुमोदित समस्त प्रस्ताव शीघ्र निदेशालय प्रेषित कराये जाए। अन्त में समिति की अनुमति से बैठक को समाप्त किया गया।

(पवन कुमार सिंह)

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी  
बलरामपुर।


### कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।

पत्रांक: 483/अ0सं0क0/पी0एम0जे0वी0के0/2018-19,

दिनांक: 13.12.2018









प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-जिलाधिकारी, महोदय बलरामपुर।
- 2-मा0 सांसद महोदय श्रावस्ती।
- 3-मा0विधायक बलरामपुर (सदर)/तुलसीपुर/गैसडी/उतरौला जनपद बलरामपुर।
- 4-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
- 5-मुख्य विकास अधिकारी, महोदय बलरामपुर।
- 6-मुख्य चिकित्साधिकारी, महोदय बलरामपुर।
- 7-अधिकाषी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बलरामपुर।
- 8-अधिकाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम, बलरामपुर।
- 9-अधिकाषी अभियन्ता विद्युत, बलरामपुर।
- 10-अधिकाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर।
- 11-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर।
- 12-कार्यालय प्रति।

  
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी  
बलरामपुर।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति  
की बैठक दिनांक 06.12.2018 की उपस्थिति

आज दिनांक 06.12.2018 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रारम्भ हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/पदाधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

क्र०सं०	नाम/पदनाम/प्रतिनिधि	हस्ताक्षर
1.	मा०सांसद श्रावस्ती।	
2.	मा०विधायक, बलरामपुर (सदर)	
3.	मा०विधायक, तुलसीपुर	
4.	मा०विधायक, गैसड़ी	
5.	मा०विधायक, उतरौला	
6.	जिलाधिकारी, महोदय	
7.	मुख्य विकास अधिकारी, महोदय	
8.	मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर	
9.	अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०	
10.	अधिशायी अभियन्ता, जल निगम, बलरामपुर	
11.	अधिशायी अभियन्ता, विद्युत, बलरामपुर	
12.	अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बलरामपुर	
13.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर	
14.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर	

मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदनार्थ सम्पन्न प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम संचालन की राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-09.01.2019 का कार्यवृत्त

अ-उपस्थिति-संलग्नकानुसार

ब-कार्यवाही

बिन्दु संख्या-1

बैठक में प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा गत बैठक दिनांक-12.10.2018 में राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय एवं उसके अनुपालन के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया। समिति द्वारा गत बैठक के कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

बिन्दु संख्या-2

बैठक में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित जनपद मुख्यालयों, विकास खण्डों एवं नगरीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाली नवीन परियोजनाओं तथा पूर्व से संचालित परियोजनाओं के उच्चीकरण के विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुये।

विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक में सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों तथा बैठक में उपस्थित सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों के साथ इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। परियोजनायें जनहित के दृष्टिकोण से उपयोगी पायी गयी तथा यह भी अवगत कराया गया कि ये परियोजनायें अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित हैं। समिति द्वारा सर्वसम्मति से जिन परियोजनाओं की स्थापना एवं निर्माण पर अपनी सहमति दी गयी, वे निम्नानुसार हैं-

विभाग का नाम- अल्पसंख्यक कल्याण उ०प्र०					धनराशि लाख रुपये में			
क्रम सं०	स्थल/ग्राम/कस्बे का नाम	अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्ड/नगर क्षेत्र	जनपद का नाम	कुल आबादी में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिशत	यूनिट	कुल लागत	केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
योजना का नाम-आगनवाही केन्द्र का निर्माण								
1	लालपुरा	नगर पालिका परिषद इटावा	इटावा	25.00	1	15.92	9.55	6.37
2	कटरा शमशेरखान	नगर पालिका परिषद इटावा	इटावा	25.00	1	15.92	9.55	6.37
3	खारदौनी	रजपुरा	मेरठ	25.00	1	9.50	5.70	3.80
4	सलेहनगर	जानी	मेरठ	25.00	1	9.50	5.70	3.80
5	उलधन	खरखौदा	मेरठ	25.00	1	9.50	5.70	3.80
6	राफियाबाद लोटी	खरखौदा	मेरठ	25.00	1	9.50	5.70	3.80

111	वीथपुर		गोशडा	25.00	1	240.14	120.07	120.07
112	दीनतपुर ग्राम		गोशडा	25.00	1	613.84	306.92	306.92
113	केरिया भद्रो		गोशडा	25.00	1	238.23	119.12	119.12
114	बस्ती खार		गोशडा	25.00	1	378.85	189.43	189.43
115	अल्हीपुर		गोशडा	25.00	1	460.57	230.29	230.29
116	बेला प्रतापगढ	नगर पालिका परिषद प्रतापगढ	प्रतापगढ	25.00	1	16.17	8.09	8.09
117	ग्राम-दादपुर	विकास खण्ड-शिवगढ	प्रतापगढ	25.00	1	289.08	144.54	144.54
118	ग्राम-दादपुर	विकास खण्ड-शिवगढ	प्रतापगढ	25.00	30	14.55	7.28	7.28
योग					817	27476.25	13738.13	13738.13

उपरोक्त पेयजल परियोजनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के स्तर पर सहमति विचाराधीन है।

योजना का नाम-सोलर लाइट/सूट्टी लाइट/घावर प्लान्ट का निर्माण

1		वि०ख०-शिवगढ	प्रतापगढ	25.00	90	116.33	69.80	46.53
2	विभिन्न स्थलों में	वि०ख०-शिवगढ	प्रतापगढ	25.00	43	11.27	6.76	4.51
3	बेला प्रतापगढ	बेला नगर पालिका परिषद प्रतापगढ	प्रतापगढ	25.00	1	54.67	32.80	21.87
योग					134	182.27	109.36	72.91

योजना का नाम-अर्बन हेल्थ सेन्टर/सीवर योजना का निर्माण

1			उन्नाव	25.00	1	182.25	109.35	72.90
2	नगर पालिका परिषद, बलरामपुर	बलरामपुर	बलरामपुर	25.00	1	16612.15	9967.29	6644.86
योग					2	16794.40	10076.64	6717.76

उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के स्तर पर सहमति विचाराधीन है।

योजना का नाम-राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण

1	शेखपुर	बिलारी	मुरादाबाद	55.00	1	87.46	52.48	34.98
2	तहारपुर	कुन्दरकी डिगरपुर	मुरादाबाद	93.00	1	22.05	13.23	8.82
3	बिजनौर	बिजनौर	बिजनौर	54.04	1	29.68	17.81	11.87
4	दारानगर गज	हल्दौर	बिजनौर	45.07	1	17.75	10.65	7.10
5	भागूवाला	नजीबाबाद	बिजनौर	90.22	1	17.75	10.65	7.10
6	कोटकाटर	कोतवाली	बिजनौर	79.79	1	29.68	17.81	11.87
7	पैजनिया	नूरपुर	बिजनौर	25.00	1	17.75	10.65	7.10

Computer No: 121800  
 File No: MsDP-13/14/2019-MsDP-MOMA  
 Government of India  
 Ministry of Minority Affairs  
 PMJVK Section

11<sup>th</sup> Floor, Pt. Deen Dayal Antodaya Bhavan,  
 C.G.O. Complex, Lodhi Road,  
 New Delhi - 110003  
 Dated: 07.02.2019

OFFICE MEMORANDUM

**SUBJECT: MINUTES OF THE 12<sup>th</sup> MEETING OF EMPOWERED COMMITTEE (EC) HELD ON 18<sup>th</sup> JANUARY, 2019 AT 11 AM & 31<sup>st</sup> JANUARY, 2019 AT 11.30 AM TO CONSIDER PROJECTS UNDER PRADHAN MANTRI JAN VIKAS KARYAKRAM FOR UTTAR PRADESH, SIKKIM, ASSAM, TELANGANA & CHAKMA AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL.**

The undersigned is directed to forward herewith Minutes of the 12<sup>th</sup> Meeting of Empowered Committee on Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram held on 18<sup>th</sup> & 31<sup>st</sup> January, 2019 under Chairmanship of Secretary, Ministry of Minority Affairs for information and necessary action.

2. This issues with the approval of Secretary, Minority Affairs.

  
 (Shubhendu S Srivastava)

Under Secretary to the Government of India  
 011-24302530

To:

1. Ministry of Finance, (Secretary, Department of Expenditure), North Block, New Delhi
2. Advisor (Social Sector), NITI Aayog, NITI Bhavan, Parliament Street, New Delhi.
3. Secretary, Ministry of Women & Child Development, Shastri Bhawan, New Delhi.
4. Secretary, Ministry of Labour & Employment, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.
5. Secretary, Ministry of Rural Development, Krishi Bhawan, New Delhi.
6. Secretary, Department of Drinking Water Supply, CGO Complex, New Delhi.
7. Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi.
8. Secretary, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi.
9. Secretary, Department of School Education and Literacy, Shastri Bhawan, New Delhi
10. Secretary, Ministry of Skill Development, Shivaji Stadium, New Delhi.

Copy for information:-

1. Pr. Secretary, Minority Welfar Department, Government of Uttar Pradesh, Uttar Pradesh Secretariat, Lucknow.
2. Secretary, Minority Welfar Department, Government of Assam, Dispur.
3. Secretary, Minority Welfar Department, Government of Telangana, Hyderabad.
4. Secretary, Minority Welfar Department, Government of Sikkim, Gangtok.
5. Secretary, Minority Welfar Department, Government of Mizoram, Aizawl.

## UTTAR PRADESH

The State Govt. of Uttar Pradesh vide their letter no. 76/52-1-2018-13(MsDP)/17 dated 14.01.2019 furnished a project proposal duly approved by the State Level Committee on 15 PP for consideration under PMJVK.

**b. Review of projects approved:**

It was informed to the committee that the Empowered Committee in its 10<sup>th</sup> Meeting held on 03.12.2018 reviewed the status of implementation of projects. The 10<sup>th</sup> EC observed that many of the projects namely Indira Awas Yojna, Health projects, Anganwadi, Handpumps, Additional Class Rooms sanctioned during 11<sup>th</sup> plan have not been completed by the State. The State representative present during the meeting informed the Committee that as stated by the State's Pr. Secretary during 10<sup>th</sup> EC meeting, the State is making efforts for completion of all pending projects of 11<sup>th</sup> plan period by 31.03.2019. Further, he added that the State is in process for submission of a proposal for dropping of non-feasible projects of 11<sup>th</sup> period.

Further, the Committee reviewed the status of the projects sanctioned by the Ministry during 12<sup>th</sup> plan period. The State representative informed the Committee that there were some land related issues involved in the projects related to construction of ACRs, Degree Colleges etc. The issues have been resolved and it is expected that the project will be completed by the State very soon. As regards delay in implementation of Water Supply project, the State representative informed the Committee that the delay was due to non-finalisation of tender process. He added that the tender process has been completed and the projects will be completed very soon.

The Committee opined that the State should expedite the submission of their proposal for dropping of non-feasible projects related to 11<sup>th</sup> Plan project. The Committee also directed the State representative to furnish details related to expected date of completion of all ongoing projects to this Ministry at the earliest.

**c. Consideration of new proposals:**

It was informed to the Empowered Committee that the projects submitted by the State have been examined by the Screening Committee on PMJVK. The State Government also made a presentation before the Committee on the projects submitted by them. The Chairperson, EC opined that in all the proposed buildings, the State will ensure that the provisions for enabling Devyang persons to avail the facilities may be made by the State on priority. Further, the EC also desired that the outer wall and colour texture of the structure should be of such type that it requires minimum maintenances. It was informed to the Committee the State has submitted all requisite declaration as per Appendix-II of the guidelines including the availability of land for construction, meeting of recurring expenditure by the State, following of guidelines and space standard of Barrier-Free Built Environment for person with disability and elderly persons published by CPWED(Para no. 9.12 of guidelines.).

- (viii) **Construction of Rajkiya Degree College:** - The State Government has proposed for construction of Rajkiya Degree College at the unit cost of Rs. 995.43 lakh to 1250.29 lakh. A presentation on the project was also made by the State's Technical officers before the EC on 31.01.2019. It was informed that the proposed asset will have total 3884.18 sqmt builtup area having G+1 structure. The EC agreed project.
- (ix) **Construction of Drinking Water Supply (DWS):** - The State Government has proposed for construction of 416 nos. of Drinking Water Supply projects at the unit cost of Rs. 14.55 - 978.33 lakh. All the proposals related to DWS are sent to the Ministry of DW&S for their comments. However, it was informed by the State representative that only 64 projects have been recommended by the SLC for approval. The representative of the M/o Drinking Water & Sanitation informed the Committee that the DPR submitted by the State is being examined by it and 13 projects so far examined by it were found in order. The EC asked the representative of M/o Drinking Water & Sanitation to expedite the submission of its recommendation on the remaining projects. The EC also opined that the State may submit an undertaking that the quality of water from the proposed project will be suitable for drinking and the water will not be used for any other purpose. In addition, the representative of Drinking Water & Sanitation also informed the committee that their Ministry is supporting States for projects in areas having arsenic & chlorine problem and suggested that the State may come up with their project to Ministry of Drinking Water & Sanitation. The EC approved the 8 projects recommended by the Ministry of Drinking Water & Sanitation subject to approval of SLSSC.
- (x) **Construction of Urban Health Centers & Sewage treatment works:** - The State Government has proposed for construction of 02 nos. of Urban Health Centers projects at the unit cost of Rs. 182.25-16612.15 lakh. The projects were discussed with the State representative and it was observed that the second project (Sewage Treatment Works) which has been proposed by the State for Balrampur district is related to sanitation. It was observed that under Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation of MoUD, the projects for New, augmentation and rehabilitation of sewerage systems and treatment plants are being considered. Further, the project for cities having population upto 10 lakh are supported by GoI upto 50% of project cost. The Empowered Committee approved the all 31 parts of the project with the condition that the recurring cost and maintenance cost of the project will be borne by the State.
- (xi) **Construction of Agricultural Market Shed:** - The State Government has proposed for construction of 01 nos. of Agricultural Market Shed projects at the unit cost of Rs. 95.62 lakh. The Screening Committee recommended one Agricultural Market Shed at the unit cost of Rs. 95.62 lakh. It was informed by the State representative that the asset will have provision for 25 shops. The structure will be a covered one having concrete shed with proper facilities for drainage and toilets. The EC agreed to the project at the unit cost of Rs.90.65 lakh.

*[Handwritten signature]*  
27/2

## Details of the projects approved by the 12th Empowered Committee on PMJVK for MCAs of the Uttar Pradesh

S.No.	Name of District	MCA	Project name	sharing ratio	No. of unit	Unit cost	Total Cost	Central Share	state share	1st installment of Central Share to be released
141	gautam Budh nagar	dadri	Science Lab		3	20.00	60.00	36.00	24.00	18
			Sewage treatment Works part A to G (in 7 parts)	50.50	7	499.35	3495.45	1747.73	1747.73	873.8625
			Sewage treatment Works part H to Z (in 19 parts)	50.50	19	369.73	7024.87	3512.44	3512.44	1756.2175
142	Balrampur	Balrampur hqrs.	Sewage treatment Works equipments part A1 to A 5 (in 5 parts)	50.50	5	371.20	1856.00	928.00	928.00	464
143	Muradabad	Muradabad	potable water supply(PLC based)	50.50	23	16.352	376.096	188.05	188.05	94.024
144	Amroha	Amroha	potable water supply(PLC based)	50.50	14	16.352	228.928	114.46	114.46	57.232

# ANNEXURE-5

F.No-13/21/2019-MsDP-MOMA  
Government of India  
Ministry of Minority Affairs

11<sup>th</sup> Floor, Pt. DeenDayalAntodaya Bhawan  
C.G.O. Complex, Lodi Road  
NewDelhi-110003  
Dated: 15.02.2019

To

The Pay & Accounts Officer  
Ministry of Minority Affairs  
DeenDayal Antyodaya Bhavan  
New Delhi

Subject: Grant in aid under the Centrally Sponsored Scheme of Pradhan Mantri Jan VikasKaryakaram (erstwhile MsDP) for Minority Concentration Areas (MCAs) to Government of Uttar Pradesh for the year 2018-19 for Amroha, Azamgarh, Badaayun, Baghpat, Bahraich, Balrampur, Barabanki, Barreily, Bjinor, Bulandshahr, Etawah, Gajipur, Gautam Budh Nagar, Ghaziabad, Gonda, Kasganj, Lakhimpur Kheri, Mau, Meerut, Moradabad, Muzaffarnagar, Pilibhit, Pratapgarh, Rampur, Saharanpur, Sant Kabir Nagar, Shahjahanpur, Shambal, Shamli/Muzaffarnagar, Shravasti, Siddharth Nagar, Sitapur, Sultanpur, Unnao, district.


Sir,

I am directed to convey the sanction of the President for release of an amount of Rs.216,69,15,490/- (Rupees Two Hundred Sixteen Crore Sixty Nine Lakh Fifteen Thousand Four Hundred Ninety Only) as 1<sup>st</sup> installment to the Govt. of Uttar Pradesh for implementing the scheme "Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (erstwhile MsDP) for Minority Concentration Areas in Amroha, Azamgarh, Badaayun, Baghpat, Bahraich, Balrampur, Barabanki, Barreily, Bjinor, Bulandshahr, Etawah, Gajipur, Gautam Budh Nagar, Ghaziabad, Gonda, Kasganj, Lakhimpur Kheri, Mau, Meerut, Moradabad, Muzaffarnagar, Pilibhit, Pratapgarh, Rampur, Saharanpur, Sant Kabir Nagar, Shahjahanpur, Shambal, Shamli/Muzaffarnagar, Shravasti, Siddharth Nagar, Sitapur, Sultanpur, Unnao, District for the year 2018-19 as per the details enclosed at Annexure-I. The non-recurring grant may be released to the Govt. of Uttar Pradesh through CAS, Reserve Bank of India, Nagpur.

2. The State Government should ensure that proportionate share of State share for the projects mentioned at annexure-I is released to the implementing agency along with Central share.

3. The expenditure is debitible to Demand No.66, Ministry of Minority Affairs Major Head- "3601" Grant-in-aid to State Government, 06- Grants for State Plan Schemes (Sub Major Head), 101 -General-(Welfare of Schedule Casts/Schedule Tribes, Other Backward Classes and Minorities) -other grants (Minor Head), 49- Multi sectoral Development Programme for minorities, 49.00.35 Grant for creation of capital assets the year 2018-19.


4. Since it is a fresh release for the plan of PMJVK, no UC is pending. Utilization Certificate for this grant should be submitted by the grantee in the prescribed format within 12 months of the closure of financial year. As per the conditions contained in

  
श्री. श. श. श. श्रीवास्तव  
Under Secretary  
अवर सचिव / Under Secretary  
Ministry of Minority Affairs  
भारत सरकार, नई दिल्ली  
Govt. of India, New Delhi

Summary of projects of Amroha, Azamgarh, Badaayun, Baghpat, Bahraich, Balrampur, Barabanki, Barreilly, Bijnor, Bulandshahr, Etawah, Gajipur, Gautam Budh Nagar, Ghaziabad, Gonda, Kasganj, Lakhimpur Kheri, Mau, Meerut, Moradabad, Muzaffarnagar, Pilibhit, Pratapgarh, Rampur, Saharanpur, Sant Kabir Nagar, Shahjahanpur, Shambhal, Shamli/Muzaffarnagar, Shravasti, Siddharth Nagar, Sitapur, Sultanpur, Unnao, (Uttar Pradesh) district approved by the 12<sup>th</sup> Empowered Committee held on 18.01.2019 & 31.01.2019.

Rs. In Lakh


Details of the projects approved by the 12th Empowered Committee on PMJVK for MCAs of the Uttar Pradesh										
S.No.	Name of District	MCA	Project name	sharing ratio	No. of unit	Unit cost	Total Cost	Central Share	state share	1st installment of Central Share to be released
1	Etawah	Nagar Palika Parishad Etawah	Aganwadi Centre	60.4	2	7.5	15	9	6	4.5
2	Meerut	Rajpura	Aganwadi Centre	60.4	2	7.5	15	9	6	4.5
3	Meerut	Janikhurd	Aganwadi Centre	60.4	1	7.5	7.5	4.5	3	2.25
4	Meerut	Kharkhoda	Aganwadi Centre	60.4	2	7.5	15	9	6	4.5
5	Sidharth nagar	Birdpur	Aganwadi Centre	60.4	1	7.5	7.5	4.5	3	2.25
6	Sidharth nagar	Khuniyaw	Aganwadi Centre	60.4	2	7.5	15	9	6	4.5
7	Sidharth nagar	Bhagwanpur	Aganwadi Centre	60.4	1	7.5	7.5	4.5	3	2.25
8	Sidharth nagar	Dumriyaganj	Aganwadi Centre	60.4	5	7.5	37.5	22.5	15	11.25
9	Sidharth nagar	Mithwal	Aganwadi Centre	60.4	2	7.5	15	9	6	4.5
10	Pratapgarh	Shivgadh	Aganwadi Centre	60.4	4	7.5	30	18	12	9
11	Gajipur	Bhadora	Aganwadi Centre	60.4	3	7.5	22.5	13.5	9	6.75
12	Balrampur	Gedas Buzurg	Aganwadi Centre	60.4	5	7.5	37.5	22.5	15	11.25

  
 Shubhendu Shekhar Srivastava  
 Secretary  
 Ministry of Minority Affairs  
 Govt. of India, New Delhi

124	Sant Kabir Nagar	Semariyaawan	Water Supply Scheme	50.5	1	239.05	239.05	119.53	119.53	59.7625
125	Sant Kabir Nagar	Semariyaawan	Water Supply Scheme	50.5	1	192.39	192.39	96.2	96.2	48.0975
126	Sant Kabir Nagar	Semariyaawan	Water Supply Scheme	50.5	1	232.44	232.44	116.22	116.22	58.11
127	Sant Kabir Nagar	Semariyaawan	Water Supply Scheme	50.5	1	314.64	314.64	157.32	157.32	78.66
128	Balrampur	nager palika parishad	Sadbhav Mandaps	60.4	1	234	234	140.4	93.6	42.12
129	gonda	BaBhanjot	Sadbhav Mandaps	60.4	1	234	234	140.4	93.6	42.12
130	mau	nagar palika parishad mau	Sadbhav Mandaps	60.4	1	234	234	140.4	93.6	42.12
131	Ghaziabad	Loni (NPP)	Sadbhav Mandaps	60.4	1	234	234	140.4	93.6	42.12
132	muzaffar nagar	Baghra	Sadbhav Mandaps	60.4	1	234	234	140.4	93.6	42.12
133	various district	various MCAs	revision in the model of Sadbhav Mandaps approved by 134th EC	60.4	18	234	4212	2527.2	1684.8	110.16
134	gautam Budh nagar	dadri	Sadbhav Mandaps	60.4	1	234	234	140.4	93.6	42.12
135	gautam Budh nagar	dadri	Science Lab	60.4	3	20	60	36	24	18
136	Balrampur	Balrampur hqrs.	Sewage treatment Works part A to G( in 7 parts)	50.5	7	499.35	3495.45	1747.73	1747.73	873.8625

शुभमो शुभमो श्रीवास्तव  
 Shubhamo Shukla Srivastava  
 भारत के अंतर्गत (U.S.)  
 Ministry of Minority Affairs  
 भारत सरकार, नई दिल्ली  
 Govt. of India, New Delhi

			Sewage treatment Works part II to Z( in 19 parts)	50.5	19	369.73	7024.87	3512.44	3512.44	1756.75
			Sewage treatment Works equipments part A1 to A 5( in 5 parts)	50.5	5	371.2	1856	928	928	464
137	Moradabad	Moradabad	potable water supply(PLC based)	50.5	23	16.352	376.096	188.05	188.05	94.024
138	Amroha	Amroha	potable water supply(PLC based)	50.5	14	16.352	228.928	114.46	114.46	57.232
139	Bahraich	Bahraich	potable water supply(PLC based)	50.5	138	16.352	2256.58	1128.29	1128.29	564.144
140	shravasti	shravasti	potable water supply(PLC based)	50.5	8	16.352	130.816	65.41	65.41	32.704
141	Balrampur	Balrampur	potable water supply(PLC based)	50.5	12	16.352	196.224	98.11	98.11	49.056
142	Bareilly	Bareilly	potable water supply(PLC based)	50.5	25	16.352	408.8	204.4	204.4	102.2
143	Badayun	Badayun	potable water supply(PLC based)	50.5	25	16.352	408.8	204.4	204.4	102.2

  
 Shubhankar Shekhar, Secretary  
 अल्पसंख्यक कार्य विभाग  
 Ministry of Minority Affairs  
 भारत सरकार, नई दिल्ली  
 Govt. of India, New Delhi

संख्या-43/2019/1038/52-1-2019-13(पी0एम0जे0वी0के0)/19

प्रेषक,

हरी राम,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,  
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

**अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 19 सितम्बर, 2019**

**विषय-** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 10वीं एवं 12वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.12.2018, 18.01.2019 एवं 31.01.2019 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-बलरामपुर में स्वीकृत सीवेज ट्रीटमेण्ट वर्क (विभिन्न भागों में A to G in 7 part, H to Z in 19 Part & A1 to A5 in 5 Part) हेतु केन्द्रांश तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक 12 वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हेतु केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति सम्बन्धी उनके पत्र संख्या- एम0एस0डी0पी0-13/21/2019-एम0एस0डी0पी0-एम0जे0वी0के0, दिनांक 15.02.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा जनपद-बलरामपुर में सीवेज ट्रीटमेण्ट वर्क (विभिन्न भागों में A to G in 7 part, H to Z in 19 Part & A1 to A5 in 5 Part) के निर्माण के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 12376.32 लाख में कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 6188.16 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 3094.08 लाख (रूपये तीस करोड़ चौरान्ने लाख आठ सौ मात्र) तथा प्रथम किश्त के रूप में बनने वाले राज्यांश की धनराशि रू0 3094.08 लाख (रूपये तीस करोड़ चौरान्ने लाख आठ सौ मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू0 6188.16 लाख (रूपये इकसठ करोड़ अट्ठासी लाख सोलह हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित बजट रू0 50.00 लाख तथा अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राप्त धनराशि रू0 6500.00 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 6550.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्र०	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	भा०म० में प्राप्त प्रथम किश्त केन्द्रांश की धनराशि	प्रथम किश्त राज्यांश की धनराशि	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित प्रथम किश्त की कुल धनराशि (के.रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	बनरामपुर	सीवेज ट्रीटमेण्ट वर्क पार्ट A to G (in 7 Parts)	7	499.35	1747.725	1747.725	3495.45	873.8625	873.8625	1747.725
		सीवेज ट्रीटमेण्ट वर्क पार्ट H to Z (in 19 Parts)	19	369.73	3512.435	3512.435	7024.87	1756.2175	1756.2175	3512.435
		सीवेज ट्रीटमेण्ट वर्क पार्ट A1 to A5 (in 5 Parts)	5	371.2	928.00	928.00	1856.00	464.00	464.00	928.00
		योग	31	1240.28	6188.16	6188.16	12376.32	3094.08	3094.08	6188.16

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी०-1-170/दस/ 2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्रस्तर-2(15)(ख) में निर्धारित व्यवस्था निम्नवत् है:-

" यदि प्रशासकीय विभाग किसी प्रकरण में केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि एक साथ जारी किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य पाते हैं, तो प्राप्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी कर सकते हैं।"

4- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-138 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ द्वारा कार्यदायी संस्था- उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि० (सी०एल०डी०एफ०) लखनऊ को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित अवधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० एवं कार्यदायी संस्था के मध्य इस आशय का एम०ओ०यू० (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

-3-

- (3)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- (4)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। **प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।**
- (5)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर व्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (6)- कार्य की विशिष्टता, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माणकारी संस्था की होगी, प्रश्नगत कार्य निर्माणकारी/कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि प्राप्त होने के 06 माह के अन्दर पूर्ण किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत सीवेज ट्रीटमेंट वर्क प्लांट के निर्माण का मानक वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित है।
- (7)- परियोजना की लागत में टाईस ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग की जायेगी।
- (8)- धनराशि आहरित कर बैंक आदि में नहीं रखी जायेगी। उपरोक्त परियोजनाओं हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।
- (9)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 29.07.2019 एवं 22.03.2019 30.03.2018, 24.04.2018, 21.06.2017, 03.08.2017 एवं दिनांक 26.08.2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10)- लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।
- (11)- कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।
- (12)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।
- (13)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

- (14)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा व्याज अर्जित किया गया है तो उसकी बसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।
- (15)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदुपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (16)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 29.07.2019 एवं 22.03.2019 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।
- (17)- उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा तथा प्रथम किस्त के कार्यों की गुणवत्ता रिपोर्ट जिलाधिकारी से प्राप्त करने का दायित्व अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का होगा तथा गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही धनराशि निर्गत की जाय।
- 5- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परियोजना-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- "0110-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत रिचार्ज सहित सोकपिट का निर्माण-(के० 50 /रा० 50-के०+रा०)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।
- 6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-707/दस-2019, दिनांक 29.08.2019 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(हरी राम)  
उप सचिव।

-5-

संख्या- 1038(1)/बावन-1-2019-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
- 5- प्रमुख सचिव, सम्बन्धित विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि एम०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत सीवेज ट्रीटमेण्ट वर्क प्लांट के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथाआवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
- 6- निजी सचिव, मा०मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा०मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वे.स. विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि० (सी०एल०डी०एफ०) लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 10- वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ।
- 11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।
- 12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
- 13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 14- गार्ड/फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)  
उप सचिव।

A052-20232024-001-338155

संख्या-68/2023/1051/52-1-2023-13(पी0एम0जे0बी0के0)/2019

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,  
उप सचिव  
उत्तर प्रदेश शासना

सेवा में,

निदेशक,  
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,  
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 27 सितम्बर, 2023

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद-वलरामपुर में स्वीकृत सीवेज ट्रीटमेण्ट वर्क (विभिन्न भागों में A to Z in part, H to Z in 19 Part and A1 to A5 in 5 Part) हेतु द्वितीय किशत राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 1734/अ0स0क0नि0/पी0एम0जे0बी0के0/धन0मांग (330/4)/2022 दिनांक 07.07.2023, पत्र सं0-1795/अ0स0क0नि0-52/लेखा/बजट-पुर्न0/2023-24 दिनांक 12.07.2023 एवं 2639/अ0स0क0नि0/पी0एम0जे0बी0के0/धन0मांग (330/4)/2022 दिनांक 24.08.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा विषयांकित परियोजना की द्वितीय किशत राज्यांश की धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-13/21/2019-एम0एस0डी0पी0 एम0ओ0एम0ए0, दिनांक 15.02.2019 के क्रम में शासनादेश संख्या-43/2010/1038/52-1-2019-13(पी0एम0जे0बी0के0)/2019 दिनांक 19.09.2019 द्वारा प्रथम किशत की धनराशि रू0 6188.16 लाख (केन्द्रांश रू0 3094.08 लाख + राज्यांश रू0 3094.08 लाख) पूर्व में निर्गत की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्रुगत परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा अप्राप्त द्वितीय केन्द्रांश के सापेक्ष द्वितीय किशत राज्यांश की धनराशि रू0 3094.08 लाख में से मात्र रू0 1547.04 (रूपये पन्द्रह करोड़ सैतालीस लाख चार हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में परियोजना के संगत लेखाशीर्ष 8910 में अन्य पूंजीगत

मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध वचत से पुनर्विनियोग (संलग्न बी0एम0-9) द्वारा व्यवस्थित धनराशि रू0 1547.04 लाख से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	कुल अनुमोदित लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त (के0+रा0)	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित द्वितीय किश्त		कुल प्रस्तावित धनराशि (रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बलरामपुर	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान	31	12376.32	6188.16	6188.16	6188.16 (के0 3094.08 + रा0 3094.08)	0.00	1547.04	1547.04
योग								0.00	1547.04	1547.04

4- उक्त अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

- (1)- प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त किये जाने का दायित्व अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का होगा।
- (2)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.08.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3)- प्रश्नगत राज्यांश की धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तत्सम्बन्धी मैचिंग केन्द्रांश अवमुक्त है।
- (4)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व निर्गत किया गया राज्यांश कोषागार से आहरित नहीं किया गया है।
- (5)- प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश उपलब्ध है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।
- (6)- प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7)- प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा। भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- (9) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (10) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजना का सक्षम स्तर मे तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 की होगी।
- (11) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- (12) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
- (13) प्रश्नगत परियोजना की पूर्व में अवमुक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा।
- (14) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
- (15) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (16) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (17) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा।
- (18) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हेतुपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अमरूप किया जायेगा।
- (19) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।
- (20) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
- (21) केन्द्रीकृत योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम संख्या-1/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।
- (22) योजनान्तर्गत बाटआउट्स आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेंटेज चार्ज देय नहीं होगा।
- (23)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्य की आवश्यकता के अनुसार कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय।

(24)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(25)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा व्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(26)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

5- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02 समाज कल्याण 800 अन्य व्यय-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8910 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत रिचार्ज यूनिट सहित सोकपिट का निर्माण 24-वृहद निर्माण कार्य के तामें उल्ला जायेगा

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-4-103-X-2023-24 दिनांक 26.09.2023 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-बी०एम०-०९ (छायाप्रति संलग्न)।

भवदीय

(शकील अहमद सिद्दीकी)

उप सचिव।

संख्या-1051(1)/बावन-1-2023- तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सम्बन्धित विभाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्रुत सीवेज ट्रीटमेण्ट वर्क के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8. निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्रुत सीवेज ट्रीटमेण्ट वर्क का समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन लाख प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति
12. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)  
उप सचिव।

<http://shasanaadesh.up.gov.in>

प्रेषक

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०,

620 इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,

अल्पसंख्यक कल्याण एवं ववफ अनु०-1.

उ०प्र० शासन।

पत्रांक 2274/अ०स०क०नि०/पी०एम०जे०वी०के०/उ०प्र०प०/2023 दिनांक 03 अगस्त 2023

विषय:—प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद—बरेली/गौतमबुद्धनगर बुलन्दशहर/बहराइच/गोण्डा/बलरामपुर/श्रावस्ती/अमरोहा/विजनौर/मुरादाबाद/रामपुर/सम्भल के विभिन्न परियोजनाओं के उपभोग प्रमाण पत्रों के प्रेषण के संबंध में

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद—बरेली/गौतमबुद्धनगर/बुलन्दशहर/बहराइच/गोण्डा/बलरामपुर/श्रावस्ती/अमरोहा/विजनौर/मुरादाबाद/रामपुर/सम्भल के संलग्न विवरण के अनुसार निर्मित/निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रथम/द्वितीय किश्त के उपभोग प्रमाण पत्र (गुणवत्ता रिपोर्ट/फोटोग्राफ्स/त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट) पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि कृपया पत्र के साथ संलग्न उपभोग प्रमाण पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए भारत सरकार को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:—यथोपरि

भवदीया,  
J. Nishik  
03/08/2023  
(जे०/रीमा)  
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— जिलाधिकारी संबंधित जनपद।

2— जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, संबंधित जनपद।

निदेशक

# ANNEXURE-9

789- 873 / 52-1-2023-01(यू०सी०) / 21

प्रेषक,

रमेश चन्द्र,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अवर सचिव,  
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार,  
11वां तल, पं दीनदयाल अन्त्योदय भवन,  
सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, नई दिल्ली।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2023  
विषय-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बरेली, गौतमबुद्ध  
नगर, बहराइच, बलरामपुर, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद एवं रामपुर की  
विभिन्न परियोजनाओं के उपभोग प्रमाण-पत्र प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के पत्र संख्या-  
2274 / अ०सं०क०नि० / पी०एम०जे०वी०के० / उ०प्र०पत्र / 2023 दिनांक 03.08.2023  
(मूलप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा  
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बरेली, गौतमबुद्ध नगर,  
बहराइच, बलरामपुर, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद एवं रामपुर में निर्माणाधीन  
विभिन्न विकास खण्डों में विभिन्न परियोजनाओं के उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध  
कराये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	भारत सरकार का पत्र संख्या व दिनांक	किस्त का विवरण	उपभोग प्रमाण-पत्र में उल्लिखित धनराशि (रु० लाख में)			संलग्नक
					केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बरेली	बरेली हेड क्वार्टर्स में यूनानी मेडिकल कालेज	13/53/2019-एमएसडीपी-मोमा Dt. 19-09-2019	प्रथम	3885.150	2590.100	6475.25	गुणवत्ता रिपोर्ट, फोटोग्राफ एवं त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (भौतिक एवं वित्तीय)
2	गौतमबुद्ध नगर	जेवर बांगर में महिला डिग्री कालेज का निर्माण	13/33/2019-एम० एस०डी०पी०-मोमा दिनांक-20.03.2019	प्रथम	282.60	62.80	345.400	गुणवत्ता रिपोर्ट, फोटोग्राफ एवं त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (भौतिक एवं वित्तीय)

3	गौतमबुद्ध नगर	दादरी में सद्भाव मण्डप का निर्माण	13/21/2019-एम0 एस0डी0पी0-मोमा दिनांक-15.02.2019	प्रथम	42.12	28.08	70.20	गुणवत्ता रिपोर्ट, फोटोग्राफ एवं त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (भौतिक एवं वित्तीय)
4	बलरामपुर	सीवेज ट्रीटमेन्ट वर्क पार्ट ए1 एवं ए5	13/21/2019-एम0 एस0डी0पी0-मोमा दिनांक-15.02.2019	प्रथम	2320.56	2320.56	4641.12	गुणवत्ता रिपोर्ट, फोटोग्राफ एवं त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (भौतिक एवं वित्तीय)
5	अमरोहा	अमरोहा के राजकीय इण्टर कालेज में पोर्टेबल वाटर सप्लाई	14/2019/376/52-1-2019-10(पी0एम0जे0वी0के0)/2019 दिनांक-08.03.2019	प्रथम	8.176	8.176	16.352	गुणवत्ता रिपोर्ट, फोटोग्राफ एवं त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (भौतिक एवं वित्तीय)
6	बिजनौर	विभिन्न विकास खण्डों में स्मार्ट क्लासेस का निर्माण/प्रशिक्षण कार्य	13/86/2019-एम0 एस0डी0पी0-मोमा दिनांक-04.01.2022	प्रथम	61.2648	40.8432	102.108	गुणवत्ता रिपोर्ट, फोटोग्राफ एवं त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (भौतिक एवं वित्तीय)
7	मुरादाबाद	विभिन्न विकास खण्डों में स्मार्ट क्लासेस का निर्माण/प्रशिक्षण कार्य	13/86/2019-एम0 एस0डी0पी0-मोमा दिनांक-04.01.2022	प्रथम	60.3504	40.2336	100.584	गुणवत्ता रिपोर्ट, फोटोग्राफ एवं त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (भौतिक एवं वित्तीय)
8	रामपुर	विकास खण्ड चमरौआ के ग्राम पहाड़ी में 100 बेडेड छात्रावास का निर्माण	3/19(13)08-पीपी दिनांक 30.09.2013 3/19(13)08-पीपी दिनांक 28.03.2016	प्रथम/ द्वितीय	125.00	0.00	125.00	गुणवत्ता रिपोर्ट, फोटोग्राफ एवं त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (भौतिक एवं वित्तीय)
योग					6785.2212	5090.7928	11876.014	

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचनाएं ग्रहण करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

मूलप्रति संलग्न।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र)

विशेष सचिव।

संख्या- 873 (1)/52-1-2023-तददिनांक-


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

791

2-जिलाधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद बरेली,  
गौतमबुद्धनगर, बलरामपुर, अमरोहा, बिजनौर, मुरादबाद एवं रामपुर।  
3-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(शकील अहमद सिद्दीकी)

उप सचिव।

प्रथक

(13)

जिलाधिकारी  
बलरामपुर ।

सेवा में

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण उ०प्र०,  
620- इन्दिरा भवन, लखनऊ।

संख्या 204 / अ०सं०क० / पी०एम०जे०वी० के० / 2024-25 दिनांक- 26/06/24

विषय:- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में संचालित विभिन्न परियोजनाओं के उपभोग प्रमाण-पत्र के सम्बंध में ।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या- 1411/अ०सं०क०नि०/ पी०एम०जे०वी०के०/ उपभोग प्रमाण-पत्र (349) 2022 दिनांक- 29 जून 2022 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी समस्त जनपद को कार्यदायी संस्थाओं के स्तर से उपलब्ध कराये जाने वाले विभिन्न परियोजनाओं के उपभोग प्रमाण-पत्रों को बिना विलम्ब किये जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर सभी संलग्नों सहित (क्यू०पी०आर०, फोटोग्राफ्स, गुणवत्ता रिपोर्ट) निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना जनपद- बलरामपुर के विकास खण्ड-बलरामपुर में निर्माणाधीन सीवरेज सिस्टम निर्माण कार्य (फेज-1) हेतु धनराशि का हस्तान्तरण निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ०प्र० लखनऊ द्वारा सीधे कार्यदायी संस्था कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी०एण्ड सी०एस०) वि०/या० नलकूप विंग के प्रबन्ध निदेशक को किया गया है। उक्त धनराशि अधोहस्ताक्षरी के निवर्तन पर अवमुक्त नहीं की गयी है अतः अधोहस्ताक्षरी का वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं बनता है। विधिक रूप से यह उचित होगा कि कार्यदायी संस्था से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया जाये। General Financial Rules 2017 की धारा 239 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपभोग प्रमाण पत्र पर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर कराने की अनिवार्यता नहीं है। वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-5, खण्ड-1 की धारा- 369एच में दी गयी व्यवस्था के तहत उपभोग प्रमाण-पत्र सम्बंधित कार्यदायी संस्था तथा विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर से प्रेषित किया जाना उचित होगा।

उल्लेखनीय है कि Third party जॉच में IIT Kanpur जॉच टीम द्वारा civil work and electrical work के बारे में निम्नलिखित टिप्पणी की गयी है :-

No visual signs of distress (structural cracks etc.) on columns, beams & beam-column joints, tank walls were observed during inspection. The surface finish of concrete was satisfactory. However, there are signs of plastering on columns and tank walls, probably due to poor form work used and lack of sufficient vibrations during concrete work. The overall workmanship is found to be satisfactory except locations of repair

works, perhaps due to poor form work. These locations may be further probe rectified.


The electrical equipment (e.g., transformers, power control VCB panels, pumps, DG sets, sensors) have been installed at site. The laboratory equipment for water quality testing and SCADA control panel with software are yet to be installed. The agency will also provide training to Jal Nigam engineers.

आपके द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में Annexure V पर अधिशाषी अभियंता उ०प्र० जल निगम, बलरामपुर एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर द्वारा तैयार उपभोग प्रमाण-पत्र पर उनके हस्ताक्षर को अधोहस्ताक्षरी द्वारा केवल हस्ताक्षर प्रमार्ण हेतु प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रेषित किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त परियोजना में उपभोग की गयी धनराशि की प्रमाणिकता आदि का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी संस्था एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग यथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर का होगा।

अतः उक्त पत्र के साथ I.I.T. Kanpur की जांच आख्या संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया स्वतंत्र रूप से अपने स्तर से किसी तकनीकी टीम से मूल्यांकन कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार ।

(152/1091)

भूवदीय  
  
 (अरविन्द सिंह)  
 जिलाधिकारी  
 बलरामपुर।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित् ।

1. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।
4. अधिशाषी अभियंता, उ०प्र० जल निगम, बलरामपुर।

जिलाधिकारी  
 बलरामपुर।

# ANNEXURE-10B 794

## Format of Utilisation Certificate PRADHAN MANTRI JAN VIKAS KARYAKRAMA (PMJKV) UTILISATION CERTIFICATE

State: UTTAR PRADESH  
 District: BALRAMPUR  
 District Hqrs/Block/Town/Cluster: BALRAMPUR  
 Name of the Project: Balrampur Nagar Palika Parishad Sewerage & S.T.P. Work (Phase-I),  
 Sanctioned Cost Rs. 12376.32 Laacs.

**Utilisation of Central Share :**

S.No.	Ministry's Sanction Order No. & Date	Name of the Project	Amount Received (Rs. Lakh)	Amount Utilised (Rs. Lakh)	Percentage of Utilisation
1	एम०एस०डी०पी० -13/21/2019-एम०एस०डी०पी० -एम०ओ०एम०ए० दिनांक 15.02.2019	Balrampur Nagar Palika Parishad Sewerage & S.T.P. Work (Phase-I)	3094.08	3094.08	100.00%

**Release and Utilisation of State Share :**

S.No.	State Government's sanction reference No. & Date	Name of the Project	Amount Released by the State (Rs. Lakh)	Amount Utilised (Rs. Lakh)	Percentage of Utilisation
1	43 / 2019 / 038 / 52-1- 2019-13 (पी.एम.जे.वी.के.) / 19 दिनांक 19.09.2019	Balrampur Nagar Palika Parishad Sewerage & S.T.P. Work (Phase-I)	3094.08	3094.08	100.00%
2	5100 / अ.स.क.नि. / पी.एम.जे.वी.के. / एस.एन.ए. (346) टी.सी. / 2023 दिनांक 30.01.2024		1547.04	1547.04	100.00%
<b>Total</b>			4641.12	4641.12	100.00%

In the case large number of projects, information may be furnished in the following format :-

Projects/Components/items of works	Amount utilized (Rs. Lakh)	
	Central Share	State Share
Balrampur Nagar Palika Parishad Sewerage & S.T.P. Work (Phase-I)	3094.08	4641.12

Certified that out of Rs. 4641.12 (Fourty Six thousand Fourty One Laacs Twelve Thousand Only) released by the State Govt. under the Prime Minister Jan Vikas Karyakram during the financial year 2019-20- vide Letter No. जी.आई.43 / 2019 / 038 / 52-1- 2019-13 (पी.एम.जे.वी.के.) / 19 दिनांक 19.09.2019 एवं पत्रांक 5100 / अ.स.क.नि. / पी.एम.जे.वी.के. / एस.एन.ए. (346) टी.सी. / 2023 दिनांक 30.01.2024 Rs. 4641.12 Laacs (Fourty Six thousand Fourty One Laacs Twelve Thousand Only) has been utilized for the above works.

Certified that out of Rs. 3094.08 Laacs (Three thousand Ninety Four Laacs Eight Thousand Only) made available assistance under the Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram sanctioned by the Ministry of Miniority Affairs during the financial year 2019-20 vide letter No. एम०एस०डी०पी० -13/21/2019-एम०एस०डी०पी०-एम०ओ०एम०ए० दिनांक 15.02.2019 Rs. 3094.08Laacs & (Three thousand Ninety Four Laacs Eight Thousand Only) has been utilized for the above works. Physical progress work in 72%


Further certified that I have satisfied myself that the conditions on which the assistance from the Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of Checks exercised.

- 1 Vouchers and Books of Account
- 2 Measurment Books.
- 3 Grant -in -aid/Loan Register.
- 4 Expenditure Register.


The balance of Rs. 0.00 Laacs is remaining unutilized as on date 22.03.2024

I am enclosing here with Quarterly Report in the Prescribed format and photographs of the projects.

  
Executive Engineer  
C.D., U.P. Jal Nigam (Urban), Balrampur

  
District Minority Welfare Officer  
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी  
Balrampur

Counter Signature by the DM/DC Concerned		Counter Signature by the Department dealing with minority affairs	
Name	only the signature of the above officers has been identified since fund was not allocated to DM, hence no legal-financial liability	Name	
Date		Date	
Place		Place	
Office Seal		Office Seal	

  
मुख्य विकास अधिकारी  
बलरामपुर

जिलाधिकारी  
बलरामपुर

## Format for Quarterly Progress Reports

## Financial

Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK)

State: Uttar Pradesh

Quarterly Financial Progress Report for Quarter ending December, 2023  
Quarter ending December, 2023

Opening Balance as on 1st April .....	Central Share released from 1st April 19 till 10.01.2024	Due State Share against Gol Releases from 1st April .....	State Share actually released from 1st April 19 till 10.01.2024	Total fund Available	Expenditure incurred from 1st April 21 till 10.01.2024	Unspent balance as on 10.01.2024	% Utilisation	Rs. in lakh			Remarks
								Previous shortfall in state share as on 1st April ....., If any	Net Short fall in state Share as on ....., If any		
1	2	3	4	5=1+2+4	6	7=5-6	8=6/5	9	10=3+9-4	11	
-	3094.08	-	3094.08	6188.16	6188.16	0	100%	-	-	-	-

नोट- रु. 6188.16 लाख में से रु. 81.47 लाख विभाग को सी.एल.डी.एफ. द्वारा अप्राप्त है।



Executive Engineer  
Construction Division  
U.P. Jal Nigam (Urban)  
Balrampur

**QUARTERLY PROGRESS REPORT ON THE PRADHAN MANTRI JAN VIKAS KARYAKRAN (PMJKV) -Physical Progress**

State: **Uttar Pradesh**  
 Progress Report for Quarter ending: **December, 2023**

S.N o.	Project ID	Name of the approved Projects	District	Block/Sub district	Units approved	completed	work in progress (WIP)	Not started	Expected date of completion, if not completed	Nos. of unit functional	Name of the executing department/ag ency
1	-	Balrampur Nagar Palika Parishad Sewerage & S.T.P. Work (Phase-I), Sanctioned Cost Rs. 12376.32 Lacs.	Balrampur	Balrampur	1	0	1	0	May, 2024	0	C&D'S, E/M Wing, UPJN (Urban)



**Executive Engineer**  
 Construction Division  
 U.P. Jal Nigam  
 Balrampur

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), बलरामपुर।

जनपद बलरामपुर में 8.5 एम.एल.डी. एस.टी.पी. के निर्माण एवं तत्संबंधी कार्यों की अद्यतन प्रगति

दिनांक: 31.05.2024

क्र	जनपद का नाम	मण्डल का नाम	योजना का नाम	कार्यक्रम का नाम	स्वीकृति का संदर्भ	स्वीकृत लागत	अवमुक्त (एस.एन ए में स्वीकृत लागत)	वित्तीय प्रगति	कार्य प्रारम्भ की तिथि (अनुबंध के अनुसार)	कार्य समाप्ति की तिथि (अनुबंध के अनुसार)	कार्य समाप्ति की पुनरीक्षित तिथि (एन. जी.टी. द्वारा शेक लगाये जाने के कारण)	कार्य का विवरण	भौतिक प्रगति	टोवर आल भौतिक प्रगति प्रतिशत में	टिप्पणी	
1	बलरामपुर	दरभंगा मण्डल	8.5 एम एल डी के निर्माण का कार्य	पी.एम.जे.पी. के	778 / याचन-1-2020-13 (पी.एम.जे.पी.के.) / 19 दि 23 06 2020	₹0 1237632 लाख द्वितीय फंड के लिए आगमन धनराशि ₹0 1941754 लाख का वित्तीय स्वीकृति हेतु वित्ताधिकारी महादेव यलरामपुर द्वारा प्रयागमत्री जन विकास विभाग को प्रेषित किया जा चुका है।	₹0 773520 लाख	₹0 773520 लाख	5.05.21	4.11.23	31.07.24	1 एस.टी.पी. 2. सीवर लाइन 3.एस.टी.पी. कर्मचरान	8.5 एम.एल.डी. 29 166 कि.मी. 3519	1- Retaining wall- 100% 2- MPS-100% 3- SBR Basin- 99% 4- Primary Unit- 100% 5- Sludge sump- 100% 6- CCT-100% 7-Admin Building- 100% 18.75 कि.मी	78%	16 शासन द्वारा योजना के निर्माण हेतु कार्यवाही संस्था के बदलाव के कारण निर्माण एवं परिकल्प संचार (लि0/यं0) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) सलजुड की यू.पी.सी.एल.डी.एक द्वारा योजना के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि दि 02.07.2020 एच 25.08.2020 को हस्तांतरित किया गया। योजना के अन्तर्गत एस.टी.पी. निर्माण हेतु कार्यवाही मार्ग जनवरी, 2021 में प्रारंभ हुआ है। तत्पश्चात् निविदा प्रक्रिया माह अक्टूबर 2021 में पूर्ण कर कार्य माह जुलाई 2021 में प्रारम्भ किया गया है। योजना का कार्य माह मई, 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। एस.टी.पी. का निर्माण कार्य मा. एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 31.05.2022 को दिखे गये निर्देशों के काम में मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर के पत्रांक 330ए/एस.टी.पी. द्वारा दि. 17.10.2022 को दिए गये निर्देशों के काम में एस.टी.पी. का निर्माण कार्य पुन. प्रारम्भ करा दिया गया है। मा. एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 09.02.2023 को दिखे गये निर्देशों के काम में सीवर लाइन का कार्य बंद करा दिया गया है। दिनांक 11.05.2023 को मा.एन.जी.टी. द्वारा दिए गये निर्देशों के काम में यू.पी.सी.पी. से सी.टी. ई. प्रारंभ कर दिया गया है तथा 18.10.2023 को एन.जी.टी. से final hearing ले चुकी है। एन.जी.टी. द्वारा प्रस्ताव प्रकरण में सीवर एच तस्मान्नी कार्यों को पुन. प्रारम्भ करने हेतु मौखिक निर्देश उक्त hearing में दिखे गये हैं जिसके काम में सीवर एवं तस्मान्नी कार्यों को पुन. प्रारम्भ किया गया है।

अधिशासी अभियंता

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), बलरामपुर।

जनपद बलरामपुर में 8.5 एम.एल.डी. एस.टी.पी. के निर्माण एवं तत्संबंधी कार्यों की अद्यतन प्रगति

दिनांक: 31.12.2023

क्र. सं.	जनपद का नाम	मण्डल का नाम	योजना का नाम	कार्यक्रम का नाम	स्वीकृति का संदर्भ	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि (एस.एन.ए. में स्वीकृत लागत)	वित्तीय प्रगति	कार्य प्रारम्भ की तिथि (अनुबंध के अनुसार)	कार्य समाप्ति की तिथि (अनुबंध के अनुसार)	कार्य समाप्ति की पुनरीक्षित तिथि (एन. जी.टी. द्वारा रोक लगाये जाने के कारण)	कार्य का विवरण	भौतिक प्रगति	ओवर आल भौतिक प्रगति प्रतिशत में	टिप्पणी	
1	बलरामपुर	देवीया टन मण्डल	8.5 एम.एल.डी. एस.टी.पी. के निर्माण का कार्य	पी.एन.जे. पी.के.	778/बावन-1-2 020-13 (पी.एन. जे.पी.के.) / 19 दि 23.06.2020	₹ 12376.32 लाख द्वितीय फेज के लिए आगमन धनराशि ₹ 19417.54 लाख का वित्तीय स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी महादय बलरामपुर द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास विभाग को प्रेषित किया जा चुका है।	₹ 6106.698 लाख (₹ 523.248 दि 2.07.2020 एवं 583.45 दि 25.08.20)	₹ 5866.51 लाख	5.05.21	4.11.23	31.05.24	1 एस.टी.पी. 8.5 एम.एल.डी.	14	15	16	शासन द्वारा योजना के निर्माण हेतु कार्यदायी सस्या के बदलाव के कारण निर्माण एवं परिकल्प संगार (रिड/गॉड) उ०प्र० जल निगम (नगरीय) लखनऊ को यू.पी.सी.एल.डी.एफ. द्वारा योजना के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि दि. 02.07.2020 एवं 25.08.2020 को हस्तगत किया गया। योजना के अन्तर्गत एस.टी.पी. निर्माण हेतु कार्यस्थल माह जनवरी, 2021 में प्रारम्भ हुआ है। तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रक्रिया माह अप्रैल 2021 में पूर्ण कर कार्य माह जुलाई 2021 में प्रारम्भ किया गया है। योजना का कार्य माह मई, 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। एस.टी.पी. का निर्माण कार्य मा. एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 31.05.2022 को दिये गये निर्देशों के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर के पत्राचार 330ए/एस.टी.पी. द्वारा दि. 17.10.2022 को दिये गये निर्देशों के क्रम में एस.टी.पी. सं. निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ करा दिया गया है। मा. एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 09.02.2023 को दिये गये निर्देशों के क्रम में सीवर लाइन का कार्य बंद करा दिया गया है। दिनांक 11.05.2023 को मा.एन.जी.टी. द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में यू.पी.सी.बी. से सी.टी.ई. प्राप्त कर लिया गया है तथा 18.10.2023 को एन.जी.टी. में final hearing हो चुकी है। एन.जी.टी. द्वारा प्रस्ताव प्रकरण में सीवर एवं तत्संबंधी कार्यों को पुनः प्रारम्भ करने हेतु मौखिक निर्देश उक्त hearing में दिये गये हैं जिसके क्रम में सीवर एवं तत्संबंधी कार्यों को पुनः प्रारम्भ किया जा रहा है।
												1- Retaining wall- 100% 2- MPS-100% 3- SBR Basin- 96% 4- Primary Unit- 100% 5- Sludge sump- 100% 6- CCT-100% 7- Admin Building- 96%				
												2- सीवर लाइन 3- हाउस कनेक्शन				
												29.166 कि.मी. 3519				

अधिशासी अभियंता  
Executive Engineer  
Construction Division  
U.P. Jal Nigam,  
Balrampur

A Report on


**Site Visit of IIT Kanpur Team for  
Third Party Quality Inspection of  
Balrampur NPP Sewerage, STP & Disposal (Phase-1)  
Under PMJVK Programme in Dist: Balrampur**

Submitted to

The Executive Engineer  
Construction Division, U.P. Jal Nigam (Urban)  
Balrampur

by

Samit Ray Chaudhuri, Professor  
K. K. Bajpai, Sr. Project Executive Officer




Department of Civil Engineering  
Indian Institute of Technology Kanpur  
Kanpur 208 016

May 2024

## Acknowledgement


The author wishes to acknowledge the Director, IIT Kanpur, for providing institutional support for this project.

In addition, the Construction Division, U.P. Jal Nigam (Urban), Balrampur is greatly appreciated for providing information regarding the project and support during the site visit. The help provided by UP Jal Nigam Engineers and all others who directly or indirectly contributed to this work are thankful.

  
Dr. Samit Ray Chaudhuri  
Professor SAMIT RAY CHAUDHURI  
PROFESSOR  
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING  
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
KANPUR U.P.-208016 (INDIA)

## Disclaimer

1. This report in full or in any part should not be published, advertised, photocopied or used for any legal action, unless prior permission has been obtained from the Director, IIT Kanpur.
2. This report is being issued on the specific understanding that IIT Kanpur will in no way be involved in any action following the interpretation of the above report.
3. The responsibility of IIT Kanpur is limited to the technical and scientific matters contained in this report. The IIT Kanpur and the PIs shall not be liable for any loss or damage including third party damage that may arise out of usage of this report.
4. The report is not to be considered as certification and is not a legal validation of the sample or material. All procedural/legal/operational matters would be the responsibility of the executing agency, who would be using this report.

  
Dr. Samit Ray Chaudhuri  
Professor  
SAMIT RAY CHAUDHURI  
PROFESSOR  
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING  
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
KANPUR U.P.-208016 (INDIA)

## I. PREAMBLE

The Executive Engineer, Construction Division, U.P. Jal Nigam (Urban), Balrampur vide his letter no. 307/Works-91/22 dated 23<sup>rd</sup> March, 2024 requested IIT Kanpur for third party inspection of Balrampur NPP Sewerage, STP & Disposal (Phase-1) under PMJVK Programme in District: Balrampur. In this regard a proposal for a preliminary inspection and site visit was submitted by IIT Kanpur for evaluation of actual condition of ongoing civil and electro-mechanical works.

This report contains observations from visual inspection carried out during preliminary site visit by an IIT Kanpur team from department of civil engineering (Dr. Samit Ray Chaudhuri and Dr. K.K. Bajpai) at the above site at Balrampur on 24<sup>th</sup> April, 2024. During the site visit, the team was provided with all the necessary help and support by the Executive Engineer and other site engineers of U.P. Jal Nigam (Urban), Balrampur.

The relevant information and available details were also shared with the team by the U.P. Jal Nigam engineers who were present during the site visit by IIT Kanpur team and provided valuable input. Some of the photographs taken during the site visit are enclosed at the end of the report.

## II. PROJECT STATUS

- (i) Based on the information provided by U.P. Jal Nigam (Urban), Balrampur, the Project Details are given in Table 1. The layout plan along with tender specifications etc. are given in Annexure-I.

**Table 1: Summary of Project details of STP (under Construction) at Dist. Balrampur**

Name of Project:	Construction of NPP Sewerage, STP & Disposal (Phase-1) Under PMJVK Programme District Balrampur
Approved Estimated Cost:	Rs. 12376.32 Lakh
Date of Work Sanction:	23/06/2020
Stipulated Date of Start:	05/05/2021
Actual date of start:	05/05/2021
Target Date of Completion:	04/05/2021
Justification for delay, if any:	Delay in granting NOC by NGT Delay in granting NOC by National Highway, flood hazard
Overall Physical progress of work till date of inspection:	75%
Financial progress:	Rs. 7735.20 Lakh

- (ii) Further, as per the information provided by U.P. Jal Nigam engineers, the summary of the progress of work done so far for different parts of the STP (under construction) at Dist.: Balrampur is given in Table 2.

**Table 2: Work Status Summary Report of STP Project (under Construction) at Dist. Balrampur**

S. No.	Description	Executed work (in %)	Remarks
1	Collection Tank	100	Currently, the work is on hold due to non-availability of funds.
2	Reactor Tank	98	
3	Settling Tank	100	
4	Sludge Holding Tank	100	
5	Treated Water Tank	100	
6	Electrical Panel	90	
7	Administrative Block including Testing Lab	100	
8	Automation (Equipment & Sensors)	60	
9	Mechanical works (Pipelines, Valves, cranes, etc.)	85	

- (i) IIT Kanpur team reviewed the previous third-party quality inspection reports by the Department of Civil Engineering, IIT(BHU) provided by U.P. Jal Nigam Engineers (copies of these reports are enclosed in *Annexure-II*). These reports show satisfactory quality for the construction of STP. It is to be noted here that, though the material test register includes testing of concrete cubes etc., third party test reports for steel rebars used for the project are not available.
- (ii) The copies of test reports of electro-mechanical equipment are also reviewed and enclosed as *Annexure-III*.

### III. OBSERVATIONS MADE DURING SITE VISIT

[No visual signs of distress (structural cracks etc.) on columns, beams & beam-column joints, tank walls were observed during inspection. [The surface finish of concrete was satisfactory. However, there are signs of plastering on columns and tank walls, probably due to poor form work used and lack of sufficient vibrations

during concrete work. The overall workmanship is found to be satisfactory except locations of repair works, perhaps due to poor form work. These locations may be further probed and rectified.

The electrical equipment (e.g., transformers, power control VCB panels, pumps, DG sets, sensors ) have been installed at site. The laboratory equipment for water quality testing and SCADA control panel with software are yet to be installed. The agency will also provide training to Jal Nigam engineers.

The following observations may be noted for further and future works for improvement in quality:

1. In the absence of steel rebar test reports in third party quality inspection reports, the samples of rebars to be tested as per relevant Indian Standards.
2. The joints of tank walls and beams and columns (repaired with normal cement) are to be grinded and a high strength mortar using sulphate resistant cement is to be applied on entire surface of all the tanks to protect against corrosive nature of sludge. These shortcomings are to be addressed on priority for protection against durability related issues.
3. It is strongly recommended that the appropriate sampling should be carried out and material quality of construction materials used are determined as per provisions of Indian Standards.
4. The welding joints on pipelines need to be properly checked individually using dye penetration and pressure testing for any leaks etc.
5. It should be ensured that all items used in the building are of appropriate quality. This includes items such as conduits for concealed wiring, electrical wires, electrical switches, fixtures and pipes for toilets etc. A proper record of the compliance should be kept and archived at the end of construction.
6. Containers of anti-termite chemical used so far to be preserved as proof of material consumed at the time of final settlement.
7. Proper registers should be maintained for materials brought at site and consumed. This should be done especially for cement and reinforcement steel.
8. A proper chart outlining the tests undertaken to ensure the quality of material for example sand, coarse aggregate, cement, steel and bricks should be maintained. These details should be appropriately archived for further reference in case needed.
9. As per the provided tender documents, the agency (contractor) will be responsible for trial run of the STP for 3 months and operation and maintenance of the STP for 05 years. Further, the defects liability period of the STP is 01 year, which may better be extended to 05 years in order to understand all maintenance related issues during initial period of 05 years and run STP smoothly afterwards.
10. Housekeeping at site should be better – more cleaning is required.

11. In the administrative block, the provisions for special toilet for differently enabled persons should be made to ensure that all provisions are adhered to (e.g. the size and nature of doors provided). The door frame fixed should be checked to determine, if it is appropriate.
12. Attention should also be paid to provide for free access to differently enabled personnels through appropriately designed ramps etc.

#### IV. CONCLUDING REMARKS AND RECOMMENDATIONS

- a) Though no visual signs of distress (structural cracks etc.) were observed during inspection, and the workmanship was largely satisfactory except brickwork, it should be clearly emphasized **that such inspections do not and cannot substitute regular quality control procedures and mechanisms that must be followed.**
- b) It is hoped that the implementation of the measures suggested in the observations given earlier, will help improve the quality of the work at this site and also help the engineers involved in their future works.
- c) It is also proposed that following tests (Table 3) as per relevant Indian Standards may also be performed at random locations of the STP:


Table 3: Member and test method for quality inspection

Members	Test Methods	Type of method	Significance of test or test parameter in assessment
Reinforced concrete Elements (Walls, Beams, and Columns)	Ultrasonic pulse velocity (as per IS 13311 - Part 1)	Non-destructive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Measurement to predict flaws, voids or cracks in concrete</li> <li>• Used to predicts quality of concrete</li> </ul>
	Rebound hammer tests (as per IS 13311 - Part 2)	Non-destructive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Measurement to predict the surface hardness of members to estimate the equivalent cube compressive strength of concrete</li> </ul>
	a. Core test (as per IS 516 & 456:2000)	Semi-destructive or destructive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direct and actual estimate of the compressive strength of concrete</li> </ul>

Members	Test Methods	Type of method	Significance of test or test parameter in assessment
Reinforced concrete Elements (Walls, Beams, and Columns)	b. Concrete's ability to resist Chloride Ion Penetration. and/or Resistivity Measurements (As per ASTM C1202/ Aashto)	To be performed on concrete core samples (Semi-destructive or destructive)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Measurement of electrical charge passed through concrete core samples</li> <li>• Chloride ion permeability of concrete can be assessed</li> <li>• Estimation of likely hood of corrosion in concrete members</li> </ul>
	Ground penetrating radar	Non-destructive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Measurement of cover thickness in members</li> <li>• Measurement of reinforcement details</li> </ul>

*Note:* Although, electrical equipment and accessories etc. have been supplied after verification by U.P. Jal Nigam Engineers (*Annexure-III*), it is also desired that some random on-the-spot verifications of electrical equipment & accessories are to be done after completion of installation at site.



- d) In case the Engineer-In-Charge, STP Project, Dist. Balrampur decides to get the tests etc. to be performed as mentioned in Table 3 through IIT Kanpur, a request may kindly be sent to submit a proposal for the same.


  
 (Samit Ray Chaudhuri)  
 Professor  
 SAMIT RAY CHAUDHURI  
 PROFESSOR  
 DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING  
 INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
 KANPUR U.P.-208016 (INDIA)



  
 (K.K. Bajpai)  
 Sr. Project Executive Officer


Department of Civil Engineering  
 Indian Institute of Technology Kanpur



Some of the photographs taken during the preliminary site visit by IIT Kanpur Team














प्रेषक

निदेशक,  
अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०,  
620 इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।

पत्रांक 1757 / अ०सं०क०नि० / पी०एम०जे०वी०के० / उ०प्र०प०-1609 / 2024 दिनांक 10.07.2024

विषय:- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती नाम एम०एस०डी०पी०) के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर में निर्माणाधीन एस०टी०पी० सीवरेज सिस्टम निर्माण कार्य में थर्ड पार्टी निरीक्षण आख्या में आई०आई०टी० कानपुर की रिपोर्ट में पायी गयी कमियों के निराकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस पत्र के साथ संलग्न जिलाधिकारी बलरामपुर के पत्र संख्या-204/अ०स०क०/पी०एम०जे०वी०के०/2024-25 दिनांक 26.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा जनपद बलरामपुर में निर्माणाधीन सीवरेज सिस्टम निर्माण कार्य (फेज-1) हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र समस्त संलग्नों सहित उपलब्ध कराया गया है।

उक्त पत्र में थर्ड पार्टी जाँच में आई०आई०टी० कानपुर की जाँच टीम द्वारा सिविल वर्क एवं इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में निम्नलिखित टिप्पणी की गयी है-

**OBSERVATIONS MADE DURING SITE VISIT**

No visual signs of distress (structural cracks etc.) on columns, beams & column joints, tank walls were observed during inspection. The surface finish of concrete was satisfactory. However, there are signs of plastering on column and tank walls, probably due to poor form work used and lack of sufficient vibrations during concrete work. The overall workmanship is found to be satisfactory except locations of repair works, perhaps due to poor form work. These locations may be further probed and rectified.

The electrical equipment (e.g., transformers, power control VCB panels, pumps, DG sets, sensors) have been installed at site. The laboratory equipment for water quality testing and SCADA control panel with software are yet to be installed. The agency will also provide training to Jal Nigam engineers.

अतः जिलाधिकारी बलरामपुर के माध्यम से उपलब्ध कराये गये विषयगत परियोजना का उपभोग प्रमाण पत्र मूलरूप में समस्त संलग्नों सहित पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि थर्ड पार्टी जाँच में पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए तथा आई०आई०टी० कानपुर की जाँच आख्या के प्रस्तर तीन (छायाप्रति संलग्न) में कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता सुधार हेतु दिये गये निर्देशों/सुझावों से संबंधित बिन्दु संख्या 01 से 12 तक का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए उपभोग प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि उपभोग प्रमाण पत्र शासन एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार मूल रूप में वापसी अपेक्षित।

भवदीय  
J. Nulke  
18/07/2024  
(जे० शिमा)  
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ०प्र० शासन लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी जनपद बलरामपुर।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
- 4- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद बलरामपुर।

J. Nulke  
18/07/2024  
(जे० शिमा)  
निदेशक

प्रेषक

निदेशक,  
अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०,  
620 इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अनुस्मारक

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।

पत्रांक 3215/अ०स०क०नि०/पी०एम०जे०वी०के०/उ०प्र०प०-1609 /2024 दिनांक 21/10/2024

विषय:- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती नाम एम०एस०डी०पी०) के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर में निर्माणाधीन ए०सी०टी०पी० सीवरेज सिस्टम निर्माण कार्य में थर्ड पार्टी निरीक्षण आख्या में आई०आई०टी० कानपुर की रिपोर्ट में पायी गयी कमियों के निराकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या--1757/अ०स०क०नि०/पी०एम०जे०वी०के०/उ०प्र०-1609 दिनांक 18.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा आपको अवगत कराया गया था कि इस पत्र के साथ संलग्न जिलाधिकारी बलरामपुर के पत्र संख्या-204/अ०स०क०/ पी०एम०जे०वी०के०/2024-25 दिनांक 26.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा जनपद बलरामपुर में निर्माणाधीन सीवरेज सिस्टम निर्माण कार्य (फेज-1) हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र समस्त संलग्नों सहित उपलब्ध कराया गया है।

उक्त पत्र में थर्ड पार्टी जाँच में आई०आई०टी० कानपुर की जाँच टीम द्वारा सिविल वर्क एवं इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में निम्नलिखित टिप्पणी की गयी है-

**OBSERVATIONS MADE DURING SITE VISIT**

No visual signs of distress (structural cracks etc.) on columns, beams & column joints, tank walls were observed during inspection. The surface finish of concrete was satisfactory. However, there are signs of plastering on column and tank walls, probably due to poor form work used and lack of sufficient vibrations during concrete work. The overall workmanship is found to be satisfactory except locations of repair works, perhaps due to poor form work. These locations may be further probed and rectified.

The electrical equipment (e.g., transformers, power control VCB panels, pumps, DG sets, sensors) have been installed at site. The laboratory equipment for water quality testing and SCADA control panel with software are yet to be installed. The agency will also provide training to Jal Nigam engineers.

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि विषयगत परियोजना कि थर्ड पार्टी जाँच में पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए तथा आई०आई०टी० कानपुर की जाँच आख्या के प्रस्तर तीन में कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता सुधार हेतु दिये गये निर्देशों/सुझावों से संबंधित बिन्दु संख्या 01 से 12 तक का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए उपभोग प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि उपभोग प्रमाण पत्र शासन एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

**संलग्नक-उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

J. Nulke  
21/10/2024  
(ज० रा०)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ०प्र० शासन लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी जनपद बलरामपुर को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से थर्ड पार्टी निरीक्षण आख्या में पायी गयी कमियों का निराकरण कार्यदायी संस्था से कराते हुए आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
- 4- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद बलरामपुर।

J. Nulke  
21/10/2024  
(ज० रा०)  
निदेशक

प्रेषक

निदेशक,  
अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०,  
620 इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।

पत्रांक 3808 / अ०स०क०नि० / पी.एम.जे.वी.के. / एस०टी०पी० / 474 / 2024 दिनांक 05.12.2024  
विषय:—प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती नाम एम०एस०डी०पी०) के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर में निर्माणाधीन एस०टी०पी० सीवरेज सिस्टम निर्माण कार्य में थर्ड पार्टी निरीक्षण आख्या में आई०आई०टी० कानपुर की रिपोर्ट में पायी गयी कमियों के निराकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-1757 / अ०स०क०नि० / पी०एम०जे० वी०के० / उ०प्र०-1609 दिनांक-18.07.2024 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या-3215 / अ०स०क०नि० / पी.एम.जे.वी.के. / उ०प्र०-1609 दिनांक-21.10.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा आपको अवगत कराया गया था कि इस पत्र के साथ संलग्न जिलाधिकारी बलरामपुर के पत्र संख्या-204 / अ०स०क० / पी.एम.जे.वी.के. / 2024-25 दिनांक-26.06.2024 प्रेषित करते हुए जनपद बलरामपुर में निर्माणाधीन सीवरेज सिस्टम निर्माण कार्य (फेज-1) हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र समस्त संलग्नकों सहित उपलब्ध कराया गया है।

उक्त पत्र में थर्ड पार्टी जॉच में आई०आई०टी० कानपुर की जॉच टीम द्वारा सिविल वर्क एवं इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में निम्नलिखित टिप्पणी की गयी है—

#### **OBSERVATIONS MADE DURING SITE VISIT**

No visual signs of distress (structural cracks etc.) on columns, beams & column joints, tank walls were observed during inspection. The surface finish of concrete was satisfactory. However, there are signs of plastering on column and tank walls, probably due to poor form work used and lack of sufficient vibrations during concrete work. The overall workmanship is found to be satisfactory except locations of repair works, perhaps due to poor form work. These locations may be further probed and rectified.

The electrical equipment (e.g., transformers, power control VCB panels, pumps, DG sets, sensors) have been installed at site. The laboratory equipment for water quality testing and SCADA control panel with software are yet to be installed. The agency will also provide training to Jal Nigam engineers.

उल्लेखनीय है कि विषयगत सन्दर्भ में नगर विकास अनुभाग-5, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-एन०जी०टी०- 350 / नौ-5-2024-18रिट / 2024 दिनांक-14.11.2024 के माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-06.11.2024 के अनुपालन के समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि-19.12.2024 नियत है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया विषयगत परियोजना की थर्ड पार्टी जॉच में पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए तथा आई०आई०टी० कानपुर की जॉच आख्या के प्रस्तर तीन

में कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता सुधार हेतु दिये गये निर्देशों/सुझावों से संबंधित बिन्दु संख्या 01 से 12 तक का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए उपभोग प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि उपभोग प्रमाण पत्र शासन एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय

J. Nulke  
05/12/2024  
(जे०/रीमा)

निदेशक  
ay ce

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1—विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ०प्र० शासन लखनऊ।
- 2—संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ०प्र० शासन को पत्र दिनांक-14.11.2024 के क्रम में।
- 3—जिलाधिकारी जनपद बलरामपुर को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से थर्ड पार्टी निरीक्षण आख्या में पायी गयी कमियों का निराकरण कार्यदायी संस्था से कराते हुए आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4—मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
- 5—जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद बलरामपुर।

J. Nulke  
05/12/2024  
(जे०/रीमा)

निदेशक  
ay ce

प्रेषक,

अनुस्मारक-3

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०,  
620 इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।

पत्रांक 3710 / अ०स०क०नि० / पी.एम.जे.वी.के. / एस०टी०पी० / 474 / 2024

दिनांक 17.12.2024

विषय:- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती नाम एम०एस०डी०पी०) के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर में निर्माणाधीन एस०टी०पी० सीवरेज सिस्टम निर्माण कार्य में थर्ड पार्टी निरीक्षण आख्या में आई०आई०टी० कानपुर की रिपोर्ट में पायी गयी कमियों के निराकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस पत्र के साथ संलग्न जिलाधिकारी, बलरामपुर के पत्र संख्या-623/अ०स०क०/पी०एम०जे०वी०के०/2024-25 दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती नाम एम०एस०डी०पी०) के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर में निर्माणाधीन एस०टी०पी० सीवरेज सिस्टम निर्माण कार्य में थर्ड पार्टी निरीक्षण आख्या में आई०आई०टी० कानपुर की रिपोर्ट में पायी गयी कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में है। उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि-

“कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-3215/अ०स०क०नि०/पी०एम०जे० वी०के० उ०प्र०-1609/2024 दिनांक-21 अक्टूबर, 2024 जो प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम लखनऊ को सम्बोधित तथा जिसकी प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठोंकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट जिसके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या-204 दिनांक-26.06.2024 के द्वारा प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक (पूर्ववर्ती एम०एस०डी०पी०) के अन्तर्गत निर्माणाधीन सीवरेज सिस्टम निर्माण कार्य (फेज-1) हेतु आवंटित धनराशि का उपभोगप्रमाण पत्र समस्त संलग्नकों सहित प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जलनिगम लखनऊ उपलब्ध कराया गया है। जिसमें Third party जाँच में IIT Kanpur जाँच टीम द्वारा civil work an electrical work के बारे में निम्नलिखित टिप्पणी की गयी है:-

No visual signs of distress (structural cracks etc.) on columns, beams & beam-column joints. tank walls were observed during inspection. The surface finish of concrete was satisfactory. However, there are signs of plastering on columns and tank walls, probably due poor form work used and lack of sufficient vibrations during concrete work. The overall workmanship is found to be satisfactory except locations of repair works, perhaps due to poor form work. These locations may be further probed and rectified.

The electrical equipment (e.-g., transformers, power control VCB panels, pumps, DG sets, sensors) have been installed at site. The laboratory equipment for water quality testing and SCADA control panel with software are yet to be installed. The agency will also provide trainig to Jal Nigam engineers.

उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जलनिग (नगरीय) बलरामपुर को निर्माण कार्यों की मासिक समीक्षा बैठकों में बार-बार थर्डपार्टी जाँच में पायी गय कमियों का निराकरण कराते हुए सम्बन्धित थर्ड पार्टी संस्था से सत्यापन कराते हुए आख्या प्रस्तुत करने व निर्देश दिये गये हैं, परन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा अद्यतन सत्यापन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के क्रम में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट”

उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-एन0जी0टी0- 260/नौ-5- 2024-18रिट/2024 दिनांक-19.09.2024 एवं पत्र संख्या-एन0जी0टी0-350/नौ-5-2024-18रिट /2024 दिनांक-14.11.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरि अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-433/2022 Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2024 में पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुय अवगत कराया गया है कि प्रकरण में अगली सुनवाई तिथि 19.12.2024 नियत है, तथा कार्य को नियत अवधि में पूर्ण कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना 50 करोड़ से अधिक लागत की परियोजना है जिसका मा0 मुख्यमंत्री के कार्यालय से पर्यवेक्षण किया जा रहा है। उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषण किये जाने के उपरान्त ही परियोजना के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि मा0 मंख्यमंत्री जी द्वारा गतमाह पत्रावली पर भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने वाले प्रयासों के संबंध में आख्या चाही थी।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया विषयगत परियोजना की थर्ड पार्टी जॉच में पायी गयी कमियों का निराकरण, निरीक्षणकर्ता एजेन्सी आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा दिये गये निर्देशों/सुझावों के अनुसार किया गया है? का जनपद स्तर पर स्थलीय सत्यापन कराते हुए जॉच आख्या निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उपभोग प्रमाण पत्र शासन एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय  
J. Nishu  
17/12/2024  
(ज० री० मा०)  
निदेशक

Q

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
- 2-संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन को पत्र दिनांक-14.11.2024 के क्रम में।
- 3-जिलाधिकारी जनपद बलरामपुर।
- 5-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद बलरामपुर।

J. Nishu  
17/12/2024  
(ज० री० मा०)  
निदेशक

Q

प्रेषक,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०,  
620 इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।

पत्रांक 4124 / अ०स०क०नि० / पी.एम.जे.वी.के. / एस०टी०पी० / 474 / 2024

दिनांक 31.12.2024

विषय:- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती नाम एम०एस०डी०पी०) के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर में निर्माणाधीन एस०टी०पी० सीवरेज सिस्टम निर्माण कार्य में थर्ड पार्टी निरीक्षण आख्या में आई०आई०टी० कानपुर की रिपोर्ट में पायी गयी कमियों के निराकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस पत्र के साथ संलग्न संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ०प्र शासन के पत्र संख्या-8580(2)/नौ-5-2024-रिट-2024 दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तगत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत/निर्माणाधीन सीवरेज सिस्टम एवं एस०टी०पी० निर्माण कार्य (फेज-1) की अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि निदेशालय के पत्र संख्या-3970 दिनांक 17.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था कि कृपया विषयगत परियोजना की थर्ड पार्टी जॉच में पायी गयी कमियों का निराकरण, निरीक्षणकर्ता एजेन्सी आई०आई०टी० कानपुर द्वारा दिये गये निर्देशों/सुझावों के अनुसार किया गया है, का जनपद स्तर पर स्थलीय सत्यापन कराते हुए जॉच आख्या निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उपभोग प्रमाण पत्र शासन एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि उक्त आख्या अद्यतन अप्राप्त होने के कारण विषयगत परियोजना का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित किये जाने में विलम्ब हो रहा है, जिस कारण शासन से अवशेष धनराशि प्राप्त होने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया जिलाधिकारी बलरामपुर के पत्र संख्या-204 दिनांक 26.06.2024 में इंगित कमियों/विषयगत परियोजना की थर्ड पार्टी जॉच में पायी गयी कमियों का निराकरण, निरीक्षणकर्ता एजेन्सी आई०आई०टी० कानपुर द्वारा दिये गये निर्देशों/सुझावों के अनुसार, जनपद स्तर पर स्थलीय सत्यापन निरीक्षणकर्ता एजेन्सी आई०आई०टी० कानपुर से कराते हुए जॉच आख्या निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उपभोग प्रमाण पत्र शासन एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक:- उपरोक्ताकनुसार।

भवदीया  
J. Nulke  
31/12/2024  
(जे० सी०)  
निदेशक

Ar

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ०प्र० शासन लखनऊ।
- 2-संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ०प्र० शासन को पत्र दिनांक-16.12.2024 के क्रम में।
- 3-जिलाधिकारी जनपद बलरामपुर।
- 5-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद बलरामपुर।

J. Nulke  
31/12/2024  
(जे० सी०)  
निदेशक

Ar

प्रेषक,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०,

620 इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।

पत्रांक 4350/अ०स०क०नि०/ पी.एम.जे.वी.के./एस०टी०पी०/474 /2024

दिनांक 17.01.2025

विषय:-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती नाम एम०एस०डी०पी०) के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर में निर्माणाधीन एस०टी०पी० सीवरेज सिस्टम निर्माण कार्य में थर्ड पार्टी निरीक्षण आख्या में आई०आई०टी० कानपुर की रिपोर्ट में पायी गयी कमियों के निराकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-4124 दिनांक 31.12.2024 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ०प्र शासन के पत्र संख्या-8580(2)/नौ-5-2024-रिट-2024 दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 की प्रति पत्र के साथ संलग्न इस आशय से उपलब्ध कराई गयी थी कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत/निर्माणाधीन सीवरेज सिस्टम एवं एस०टी०पी० निर्माण कार्य (फेज-1) की अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि निदेशालय के पत्र संख्या-3970 दिनांक 17.12.2024, पत्र संख्या-3808 दिनांक 05.12.2024, पत्र संख्या-3215 दिनांक 21.10.2024 तथा पत्र संख्या-1757 दिनांक 18.07.2024 द्वारा आपसे निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है कि की थर्ड पार्टी जॉच में पायी गयी कमियों का निराकरण, निरीक्षणकर्ता एजेन्सी आई०आई०टी० कानपुर द्वारा दिये गये निर्देशों/सुझावों के अनुसार किया गया है, का जनपद स्तर पर स्थलीय सत्यापन कराते हुए जॉच आख्या निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उपभोग प्रमाण पत्र शासन एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके, जोकि अद्यतन अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि उक्त आख्या अद्यतन अप्राप्त होने के कारण विषयगत परियोजना का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित किये जाने में विलम्ब हो रहा है, जिस कारण शासन से अवशेष धनराशि प्राप्त होने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायालय, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-433/2022 पटेश्वरी प्रसाद सिंह, बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में अगली सुनवाई 13.02.2025 को मा० न्यायालय में सूचीबद्ध किया गया है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया जिलाधिकारी बलरामपुर के पत्र संख्या-204 दिनांक 26.06.2024 में इंगित कमियों/विषयगत परियोजना की थर्ड पार्टी जॉच में पायी गयी कमियों का निराकरण, निरीक्षणकर्ता एजेन्सी आई०आई०टी० कानपुर द्वारा दिये गये निर्देशों/सुझावों के अनुसार, जनपद स्तर पर स्थलीय सत्यापन निरीक्षणकर्ता एजेन्सी आई०आई०टी० कानपुर से कराते हुए जॉच आख्या निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उपभोग प्रमाण पत्र शासन एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक:-उपरोक्ताकनुसार।

भवदीया

J. Gulha  
(जो सीमा)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
- 2-संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
- 3-जिलाधिकारी जनपद बलरामपुर।
- 5-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद बलरामपुर।

J. Nulke  
13/05/2025  
(जो रीमा)  
निदेशक  
a



प्रेषक,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०,

620 इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।

पत्रांक USIC / अ०स०क०नि० / पी.एम.जे.वी.के. / एस०टी०पी० / 474 / 2024

दिनांक 03 02 2025

विषय:—मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायालय, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-433/2022 पटेश्वरी प्रसाद सिंह, बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2024 के अनुपालन में विचार विमर्श हेतु सचिव, नगर विकास विभागक, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2025 को सम्पन्न बैठक/वीडियो कान्फ्रन्सिंग में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:—प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती नाम एम०एस०डी०पी०) के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर में निर्माणाधीन एस०टी०पी० सीवरेज सिस्टम निर्माण कार्य में थर्ड पार्टी निरीक्षण आख्या में आई०आई०टी० कानपुर की रिपोर्ट में पायी गयी कमियों के निराकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ०प्र० शासन, की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2025 को सम्पन्न बैठक/वीडियो कान्फ्रन्सिंग के कार्यवृत्त दिनांक 24.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-4 में उल्लिखित है कि “प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2018-19 में स्वीकृत/निर्माणाधीन सीवरेज सिस्टम एवं एव०डी०पी० निर्माण कार्य (फेज-1) की अवशेष धनराशि को कार्यदायी संस्था को यथाशीघ्र अवमुक्त किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जाय। आई०टी०टी० कानपुर द्वारा थर्ड पार्टी निरीक्षण आख्या में पायी गयी कमियों की निराकरण आख्या प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर संबंधित को उपलब्ध कराई जाय।”

उपरोक्त के संबंध में पुनः अनुस्मारित कराना है कि निदेशालय के पत्र संख्या-3970 दिनांक 17.12.2024, पत्र संख्या-3808 दिनांक 05.12.2024, पत्र संख्या-3215 दिनांक 21.10.2024 तथा पत्र संख्या-1757 दिनांक 18.07.2024 द्वारा आपसे निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है कि की विषयगत परियोजना की थर्ड पार्टी जाँच में पायी गयी कमियों का निराकरण, निरीक्षणकर्ता एजेन्सी आई०आई०टी० कानपुर द्वारा दिये गये निर्देशों/सुझावों के अनुसार किया गया है, का जनपद स्तर पर स्थलीय सत्यापन कराते हुए जाँच आख्या निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उपभोग प्रमाण पत्र शासन एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके, जोकि अद्यतन अप्राप्त है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ०प्र शासन द्वारा भी विषयगत परियोजना हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त आख्या अद्यतन अप्राप्त होने के कारण विषयगत परियोजना का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित किये जाने में विलम्ब हो रहा है, जिस कारण शासन/अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय भारत सरकार से अवशेष धनराशि प्राप्त होने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायालय, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-433/2022 पटेश्वरी प्रसाद सिंह, बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में अगली सुनवाई 13.02.2025 को मा० न्यायालय में सूचीबद्ध किया गया है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया जिलाधिकारी बलरामपुर के पत्र संख्या-204 दिनांक 26.06.2024 में इंगित कमियों/विषयगत परियोजना की थर्ड पार्टी जाँच में पायी गयी कमियों का निराकरण, निरीक्षणकर्ता

एजेन्सी आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा दिये गये निर्देशों/सुझावों के अनुसार, जनपद स्तर पर स्थलीय सत्यापन, निरीक्षणकर्ता एजेन्सी आई0आई0टी0 कानपुर से कराते हुए जॉच आख्या निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उपभोग प्रमाण पत्र शासन एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।  
संलग्नक:-उपरोक्ताकनुसार।

भवदीय

Q

(अंकित कुमार अग्रवाल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
- 2-संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
- 3-जिलाधिकारी जनपद बलरामपुर।
- 5-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद बलरामपुर।

Q

03/2/25

(अंकित कुमार अग्रवाल)

निदेशक

Q

रमेश चन्द्र,  
विशेष सचिव।



अर्.शा.पत्र.सं.- 1004/52-1-2023-13(msdp)/17टीसी011

उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण-एवं वरक अनुभाग-1

संखनक: दिनांक 14 सितम्बर, 2023

प्रिय महोदय,

कृपया अपने पत्र सं०-एम0एस0डी0पी0-21/14/2023-एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 28.08.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत प्रदेश में संचालित परियोजनाओं हेतु केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के आलोक में अद्यावधिक स्थिति से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि एवं अन्य सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत है:-

1. आपके पत्र के अनुसार योजनान्तर्गत अद्यतन भारत सरकार द्वारा निर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष 71% का उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जा चुका है। अवगत कराना है कि राज्य सरकार ने माह अगस्त, 2023 में विभिन्न पत्रों के माध्यम से लगभग कुल रू० 232.00 करोड़ का उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजा है। जिनका मिलान मंत्रालय के स्तर पर कराया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्रों के प्रेषण की स्थिति यथापेक्षित 75% से अधिक है। अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा प्रेषित उपभोग प्रमाण पत्रों के मिलान के उपरान्त सूचित करने का कष्ट करें।
2. सम्प्रति निर्माणाधीन परियोजनाओं की भौतिक प्रगति वित्तीय स्वीकृतियों के अनुरूप है।
3. आपके उक्त पत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश रू० 146.00 करोड़ राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त किया जाना है। सम्प्रति उक्त राज्यांश की धनराशि निम्न विवरणानुसार अवमुक्त की जा चुकी है:-

- (i) भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा में 100.25 करोड़ का राज्यांश अंकित नहीं पाया गया है, जिसका अंकन भारत सरकार के डाटा में किया जाना अपेक्षित है।
- (ii) प्रदेश सरकार की राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.07.2023 में रू० 151.98 करोड़ के लागत की विभिन्न परियोजनाएं ज्ञाप किये जाने पर समिति का अनुमोदन प्राप्त कर भारत सरकार की इम्पावर्ड कमेटी के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया है। ज्ञाप की गयी परियोजनाओं के सापेक्ष राज्यांश रू० 54.01 करोड़ की धनराशि अन्य परियोजनाओं हेतु अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त धनराशि का भारत सरकार के डाटा में अंकन किया जाना अपेक्षित है।

24

इस प्रकार कुल ₹0 164.80 करोड़ के राज्यांश का भारत सरकार के डाटा में अंकन किया जाना लम्बित है, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही भारत सरकार के स्तर से की जानी अपेक्षित है।

4. अप्रयुक्त समस्त धनराशि एस0एन0ए0 खातों में जमा की जा चुकी है।
5. अप्रयुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष एस0एन0ए0 खातों में अर्जित ब्याज की धनराशि ₹0 8.00 करोड़ भारत सरकार के समेकित निधि (भारत कोष) में जमा की जा चुकी है।
6. परियोजना के जियो टैगिंग का कार्य गतिमान है। वर्तमान में योजनान्तर्गत कुल 1000 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और अद्यतन कुल 28,464 परियोजना इकाईयों की जियो टैगिंग का कार्य सुनिश्चित कराया जा चुका है।

3- अतः अनुरोध है कि उपरिलिखित स्थितियों का संज्ञान लेते हुए योजनान्तर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं हेतु केन्द्रांश की धनराशि यथाशीघ्र अवमुक्त करने का कष्ट करें, जिससे कि प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश सहित समेकित वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराकर जनोपयोगी बनाया जाना सम्भव हो सके, अन्यथा इन परियोजनाओं में time over run एवं cost over run की आशंका है।

21/22

भवदीय,

*(रमेश चन्द्र)*  
2023

श्री सी0पी0एस0 बक्शी,

संयुक्त सचिव,

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

11वां तल पं0 दीनदयाल उपाध्याय, अन्त्योदय भवन,

सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003

सं. 1066/52-1-2023

**धर्मपाल सिंह**  
मंत्री  
पशुधन एवं दुग्ध विकास,  
राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण,  
मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा



विधान भवन सचिवालय  
कक्ष सं-65, 66  
दूरभाष नं० : 0522-2238079  
0522-2213258  
(आवास): 0522-2236828

लक्षण सं० : दिनांक 27.10.2023

आदरणीय मंत्री,

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनपद अमेठी हेतु हाल ही में स्वीकृत की गई ₹0 8636.80 लाख की परियोजनाओं हेतु आपका आभार। अवगत कराना है कि प्रदेश के अन्य जनपदों से भी योजनान्तर्गत नवीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें शीघ्र ही राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त मंत्रालय के विचारार्थ प्रेषित किया जाएगा।

तत्कम में पूर्व प्रेषित पत्रों के क्रमागत पुनः सूच्य है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराकर जनोपयोगी किया जाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। कृपया अवगत हो कि 01 अप्रैल, 2022 को प्रदेश में कुल 1218 परियोजना इकाईयां निर्माणाधीन थी। प्रभवी एवं सतत अनुश्रवण उपरान्त गत वित्तीय वर्ष में 204 तथा इस वित्तीय वर्ष के माह सितम्बर तक 203 परियोजना इकाईयों को पूर्ण किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा 76 प्रतिशत से अधिक धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसका मिलान मंत्रालय के स्तर पर किया जा चुका है।

अवगत कराना है कि निर्माणाधीन 811 परियोजनाओं में से 185 परियोजनाओं के सापेक्ष प्रतिबद्ध केन्द्रांश की धनराशि ₹0 563.24 करोड़ भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किया जाना लम्बित है। इन परियोजनाओं में 11 डिग्री कालेज, 06 राजकीय पॉलीटेक्निक, 27 राजकीय इण्टर कालेज, 28 आई0टी0आई0, 25 पाइप पेयजल परियोजना सम्मिलित हैं। केन्द्रांश की अवशेष धनराशि समय से प्राप्त होने के कारण इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में टाइम ओवर रन और कास्ट ओवर रन की आशंका है।

यह भी सूच्य है कि स्टेट नोडल अकाउंट में उपलब्ध सम्पूर्ण धनराशि निर्माणाधीन 626 परियोजनाओं के सापेक्ष कार्यदायी संस्थाओं के पक्ष में आवंटित की जा चुकी है। इस कारण उक्त निर्माणाधीन 185 परियोजनाओं तथा स्वीकृत की गई नई परियोजनाओं हेतु धनराशि उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।



अतः अनुरोध है कि योजनान्तर्गत पूर्ण स्वीकृत परियोजनाओं हेतु प्रतिबद्ध केन्द्रांश रू० 563.24 करोड़ की धनराशि अतिशीघ्र अवमुक्त करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि निर्माण कार्य पूर्ण करके इनका लोकार्पण शीघ्र कराया जा सके। इसके साथ ही जनपद अमेठी में स्वीकृत नई परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति मंत्रालय स्तर से निर्गत करके धनराशि अवमुक्त करने हेतु भी सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि इनका निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ कराया जा सके।

स्वाक्षर

भवदीय,

  
(धर्मपाल सिंह)

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी,  
मा० मंत्री,  
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार,  
11वां तल, पं० दीन दयाल अन्वयोदय भवन,  
सी०जी०ओ०काम्पलेक्स, लोधी रोड,  
नई दिल्ली।

मोनिका एस0 गर्ग  
अपर मुख्य सचिव।



अर्द्ध0शा0पत्रसं0- 41 /62-1-2024  
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1  
उत्तर प्रदेश शासन  
लखनऊ दिनांक: 10 जनवरी, 2024

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराकर जनोपयोगी किये जाने हेतु उच्च स्तर पर निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 01 अप्रैल, 2022 को प्रदेश में कुल 1218 परियोजना इकाईयां निर्माणाधीन थी। प्रभावी एवं सतत् अनुश्रवण करके गत वित्तीय वर्ष में 204 तथा इस वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर तक 304 परियोजना इकाईयों को पूर्ण कराया गया है।

2- अभी तक प्राप्त केन्द्रांश रू0 2655.96 करोड़ के सापेक्ष रू0 2187.33 करोड़ केन्द्रांश की धनराशि का व्यय करते हुए कुल रू0 2012.78 करोड़ केन्द्रांश के उपभोग प्रमाण पत्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित किये गये, जो कि कुल धनराशि का 76% है। कुल अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष 82% धनराशि के व्यय प्रमाण पत्र भी मंत्रालय को उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

3- सूच्य है कि अद्यतन निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 125 से अधिक परियोजनाओं के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि लगभग रू0 270 करोड़ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किया जाना लम्बित है। इन परियोजनाओं में 10 डिग्री कालेज, 03 राजकीय पालिटेक्निक, 08 राजकीय इण्टर कालेज, 27 राजकीय आई0टी0आई0, 05 पाइप पेयजल, रू0 50 करोड़ से अधिक लागत की 03 बड़ी परियोजनाएं एवं कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं सम्मिलित हैं। केन्द्रांश के अभाव में कार्यदायी संस्थाओं को अग्रेतर धनराशि अवमुक्त किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण परियोजनाओं की भौतिक प्रगति में प्रतिकूल प्रभाव सम्भावित है।

4- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की SNA व्यवस्था के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि राज्य के एस0एन0ए0 पूल फण्ड में अधिकतम धनराशि प्रतिबद्ध अवमुक्त किये जाने वाले केन्द्रांश की धनराशि का 50% होना चाहिए। इस आगणन से लगभग रू0 100 करोड़ की धनराशि एस0एन0ए0 पूल फण्ड में अवशेष होने पर ही अग्रेतर केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त

किये जाने की कार्यवाही यदि भारत सरकार द्वारा की जाती है, तो परियोजनाओं को समय में पूर्ण करना सम्भव नहीं होगा और उनमें Time Over Run एवं Cost Over Run की आशंका रहेगी।

- 5- सूच्य है कि SNA में परिलक्षित कुल अवशेष धनराशि रू0 431.29 करोड़ निर्माणाधीन परियोजनाओं के सापेक्ष लिमिट के माध्यम से प्रतिबद्ध रूप से कार्यदायी संस्थाओं के पक्ष में आवंटित की जा चुकी है। एस0एन0ए0 खातों में निर्माणाधीन परियोजनाओं के सापेक्ष अग्रेतर आवंटन हेतु धनराशि अवशेष नहीं है, जिस कारण से 125 से अधिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में केन्द्रांश के अभाव में निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकी है तथा समयान्तर्गत इन परियोजनाओं को पूर्ण कराना सम्भव नहीं हो सकेगा। परियोजनाओं में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति से बचने हेतु आवश्यक है कि प्रतिबद्ध केन्द्रांश की धनराशि शीघ्रातिशीघ्र अवमुक्त की जाय।
- 6- भारत सरकार ने केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व राज्य सरकार से यह अपेक्षा की है कि योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग का कार्य तेजी से किया जाय। तत्क्रम में अवगत कराना है कि प्रदेश में 28,464 अवस्थापना परियोजनाओं की जियो टैगिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजनान्तर्गत वर्ष 2008 से 2014 के मध्य लगभग 95 हजार इन्दिरा आवास एवं हैण्डपम्प इकाईयां अनुमोदित किये गये थे। एक दशक से अधिक का समय बीत जाने के कारण उक्त लाभार्थीपरक योजनाओं की ट्रेसिंग में कठिनाई हो रही है जिस कारण से जियो टैगिंग में अधिक समय लगने की सम्भावना है।
- 7- योजना के बेहतर संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2008-09 से 2017-18 के मध्य स्वीकृत/अनुमोदित 97,300 से अधिक परियोजना इकाईयां जो किन्हीं कारणोंवश अनारम्भ थी, को ड्राप करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है तथा इन ड्राप परियोजनाओं में निहित धनराशि को प्राथमिकता वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं हेतु आवंटित किया गया है।
- 8- स्वीकृत परियोजनाओं की गहन आन्तरिक वित्तीय समीक्षा भी विभाग द्वारा की गयी है। वर्ष 2008-09 से 2021-22 के मध्य स्वीकृत की गयी परियोजनाओं का सतत एवं प्रभावी अनुश्रवण किया गया और कुशल वित्तीय प्रवन्धन के दृष्टिगत वर्ष 2017 के उपरान्त किसी भी परियोजना हेतु पुनरीक्षित आगणन को स्वीकृत नहीं किया गया। सकारात्मक प्रशासकीय हस्तक्षेप से इन पुरानी परियोजनाओं को पूर्व अनुमोदित लागत में ही क्रियाशील किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

20

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं हेतु प्रतिबद्ध केन्द्रांश की धनराशि अतिशीघ्र अवमुक्त करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि निर्माण कार्य पूर्ण करके इनका लोकापर्ण अतिशीघ्र किया जा सके।

भवदीया,

(मोनिका एस0 गर्ग)

श्री कटिकियाला श्रीनिवास,

सचिव,

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार,

11वां तल, पं0 दीनदयाल अन्त्योदय भवन,

सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली।

समसंख्यक तद्दिनांक।

प्रिय निरूपमा

दूरभाष पर आपसे हुयी वार्ता के सन्दर्भ में उक्त की प्रति आपको प्रेषित कर रही हूँ तथा दिनांक 12.01.2024 को अपरान्ह में आपसे मिलकर इस विषय पर चर्चा भी करना चाहूंगी।

सहस्रिभवे

भवदीया,

(मोनिका एस0 गर्ग)

अपर मुख्य सचिव

सुश्री निरूपमा कोतरू,

संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार,

11वां तल, पं0 दीनदयाल अन्त्योदय भवन,

सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली।

मोनिका एस0 गर्ग,  
अपर मुख्य सचिव



अर्द्धशा0संख्या-208 /52-1-/2024  
उत्तर प्रदेश शासन  
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1  
लखनऊ: दिनांक: 16 फरवरी, 2024

प्रिय श्री श्रीनिवास

कृपया मेरे पूर्व पत्र दिनांक 10.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराने हेतु प्रतिबद्ध केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि परियोजनाओं को यथाशीघ्र जनोपयोगी किये जाने के प्रदेश सरकार के उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा कराकर लोकार्पण कराये जाने की समीक्षा उच्च स्तर पर की जा रही है। प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति निम्नवत् हैं-

#### 1- योजनान्तर्गत भौतिक प्रगति

- योजना अन्तर्गत 1,99,286 इकाईयों को पूर्ण किया गया है।
- योजना के बेहतर संचालन एवं क्रियान्वयन के उद्देश्य से वर्ष 2008-09 से 2017-18 के मध्य स्वीकृत/अनुमोदित परियोजना इकाईयों जो किन्हीं कारणोंवश अनारम्भ थी, को drop करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया। वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2020-21 के मध्य 10,828 इकाईयों को ड्राप किया गया था। तदोपरान्त गतवर्षों में विशेष अभियान चलाकर जनपद स्तर पर ऐसी इकाईयों को चिन्हित करके प्रशासकीय विभागों से परामर्श के उपरान्त 97,296 परियोजना इकाईयों को drop करने की SLC की संस्तुति दिनांक 12.07.2023 के क्रम में EC के निर्णय दिनांक 27.09.2023 के अनुसार इन्हें drop करने का निर्णय लिया गया है और इन में निहित कुल धनराशि रु 151.98 करोड़ को प्राथमिकता वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं हेतु आवंटित किया गया है। SLC की बैठक दिनांक-26.12.2023 में 163 अन्य परियोजना इकाईयों को भी drop करने की संस्तुति की गई है, जिन पर EC का निर्णय प्रतीक्षित है।
- ड्राप की गई परियोजनाओं को हटाते हुए कुल स्वीकृत परियोजनाओं में से 1,99,286 इकाईयों को पूर्ण करके 98% की उपलब्धि प्रदेश द्वारा प्राप्त की गई है।
- दिनांक 01-04-2022 को प्रदेश में 1218 परियोजनाएं तथा स्मार्ट क्लास रूम एवं फर्नीचर आदि की परियोजनाएं निर्माणाधीन थी।
- प्रभावी एवं सतत् अनुश्रवण करते हुए स्मार्ट क्लास रूम फर्नीचर आदि की अनेक परियोजनाओं के साथ-साथ गत वित्तीय वर्ष में 204 एवं इस वित्तीय वर्ष में माह जनवरी, 2024 तक 335 परियोजनाओं को पूर्ण कराया गया है।

➤ शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र और पेयजल आपूर्ति की परियोजनाओं को जनोपयोगी बनाये जाने हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग एवं जिला प्रशासन से प्रभावी समन्वय के फलस्वरूप सितम्बर, 2022 से जनवरी, 2024 के मध्य निम्न परियोजनाओं को क्रियाशील कराया गया है:-

- शिक्षा क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज-40, राजकीय पालिटेक्निक-12, राजकीय आई0टी0आई0-09, राजकीय हाईस्कूल-06, करतूरबा गांधी विद्यालय-02, प्राइमरी स्कूल-40, अपर प्राइमरी स्कूल-08
- स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष हॉस्पिटल-07, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-03, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-14, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र-03
- पेयजल आपूर्ति की 118 परियोजनाएं

## 2- योजनान्तर्गत वित्तीय प्रगति

- योजनान्तर्गत प्रदेश हेतु भारत सरकार द्वारा कुल रु 4896.71 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। कुल स्वीकृत केन्द्रांश रु 3353.01 करोड़ के सापेक्ष अबतक मात्र रु 2655.96 करोड़ का केन्द्रांश ही अवमुक्त किया गया है।
- अभी तक प्राप्त केन्द्रांश रु 2655.96 करोड़ के सापेक्ष रु 2363.80 करोड़ केन्द्रांश की धनराशि का व्यय करते हुए कुल रु 2012.78 करोड़ केन्द्रांश के उपभोग प्रमाण पत्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित किये गये, जो कि कुल धनराशि का 76% है, इनका मिलान भी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के स्तर पर किया जा चुका है।
- कुल अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष 96% धनराशि के व्यय प्रमाण पत्र का मिलान भी मंत्रालय स्तर पर किया जा चुका है तथा लगभग रु 90 करोड़ के व्यय मिलान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जो कि कुल स्वीकृत केन्द्रांश का मात्र 2.7% है।
- रु 50 करोड़ से अधिक लागत की दो परियोजनाओं सांस्कृतिक सदभावना केन्द्र एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान, बलरामपुर में केन्द्रांश की प्रत्याशा में क्रमशः धनराशि रु 920.00 लाख एवं रु 1547.02 लाख का राज्यांश अवमुक्त करने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है ताकि इन बड़ी परियोजनाओं का निर्माण कार्य निर्बाध चलता रहे।

## 3- प्रदेश में कुशल प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रबन्धन

- वर्ष 2022-23 में कुल 204 परियोजना एवं वर्ष 2023-24 के माह जनवरी तक 335 परियोजनाओं को पूर्ण कराया गया।
- जियो टैगिंग:-

योजनान्तर्गत भुवन पोर्टल पर प्रदेश के कुल 1,05,447 परियोजनाये जियो टैग हेतु पंजीकृत है, जिनमें से 65,546 परियोजनाओं की जियो टैगिंग की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि पोर्टल पर पंजीकृत 9,266 परियोजनायें ड्राप की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त फर्नीचर, हैण्डपम्प एवं स्मार्ट क्लास की कुल 4,885 परियोजनाओं की जियो टैगिंग नहीं की जानी है। भुवन पोर्टल से इन्हें हटाने का अनुरोध राज्य सरकार के पत्र

संख्या-65/52-1-2024, दिनांक 30-01-2024 **835** एवं पत्र संख्या-194/52-1-204 दिनांक 15-02-2024 द्वारा किया गया है।

इस प्रकार संशोधित लक्ष्य 97,296 के सापेक्ष 65,546 परियोजनाओं की जियो टैगिंग पूर्ण करते हुए 72% की उपलब्धि प्राप्त की गई है।

जियो टैगिंग हेतु 25,750 अवशेष परियोजनाओं में मुख्य रूप से 24,230 इन्दिरा आवास, 1,520 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा कुल अन्य परियोजनाएँ सम्मिलित हैं। एक दशक से अधिक समय बीत जाने के कारण इन लाभार्थिपरक परियोजनाओं की ट्रेडिंग में कठिनाई हो रही है। इस कारण से इनकी जियो टैगिंग में कुछ समय लगने की सम्भावना है।

- वर्ष 2021-22 के दौरान योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की गहन आन्तरिक वित्तीय संवीक्षा भी विभाग द्वारा की गयी है। वर्ष 2008-09 से 2021-22 के मध्य स्वीकृत की गयी परियोजनाओं का सतत प्रभावी अनुश्रवण किया गया और कुशल वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिगत वर्ष 2017 के उपरान्त किसी भी परियोजना हेतु पुनरीक्षित आगणन को स्वीकृत नहीं किया गया है। सकारात्मक प्रशासकीय हस्तक्षेप से इन पुरानी परियोजनाओं को पूर्व अनुमोदित लागत में ही क्रियाशील किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

#### **4- SNA एवं Unspent balance का प्रबन्धन-**

- भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र सं०-एम०एस०डी०पी०/मोमा /21-14-2023 दिनांक-13.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया था कि रु 1262.70 करोड़ की अप्रयुक्त धनराशि राज्य स्तर पर अवशेष है। प्रदेश सरकार द्वारा विशेष प्रयास एवं प्रभावी अनुश्रवण करके समस्त धनराशि SNA में प्राप्त की गई और अनेक परियोजनाएं पूर्ण करके UC भी मंत्रालय को प्रेषित किए गए। भारत सरकार की डाटा शीट दिनांक-15.01.2024 के अनुसार रु 712.15 करोड़ राज्य स्तर पर अवशेष है। इसमें से रु 362 करोड़ की धनराशि वर्तमान में SNA में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय के मेल दिनांक 15.02.2024 के अनुसार रु 260 करोड़ केन्द्रांश के अतिरिक्त UC का भी मिलान कर लिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में प्रदेश में SNA में उपलब्ध रु 362 करोड़ के अतिरिक्त मात्र रु 90 करोड़ का unspent balance परिलक्षित हो रहा है।
- SNA में परिलक्षित रु 362 करोड़ में रु 24.67 करोड़ की अतिरिक्त राज्यांश की धनराशि भी सम्मिलित है, जिसको केन्द्रांश की प्रत्याशा में (रु 50 करोड़ से अधिक लागत की दो परियोजनाओं हेतु) अवमुक्त किया गया है।
- कार्यदायी संस्थाओं द्वारा आवंटित लिमिट के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में रु 214.06 करोड़ तथा वर्ष 2023-24 में अद्यतन धनराशि रु 450.98 करोड़ का व्यय किया गया है। उक्तानुसार धनराशि के व्यय प्रमाण-पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किये जा चुके हैं।
- SNA में अद्यतन रु 362 करोड़ व्यय हेतु अवशेष है, जिसको वित्त विभाग की सहमति से निर्माणाधीन परियोजनाओं हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित किया जा चुका है। इस प्रकार वास्तविक रूप से SNA

खाते में धनराशि अग्रोत्तर आवंटन हेतु अवशेष नहीं है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आवंटित धनराशि का अधिकांशतः व्यय माह जून-जुलाई, 2024 तक कर लिया जाएगा।

- यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निर्माणाधीन परियोजनायें वर्ष 2013-14 से 2020-21 के मध्य स्वीकृत की गई थी, इसलिए केवल प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर (सांकेतिक धनराशि अवमुक्त करते हुए) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य कराया जाना संभव नहीं होगा।
- SNA खाते में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के अद्यतन तक अर्जित केन्द्रांश के ब्याज की धनराशि भारत सरकार के Consolidated Fund of India/ Bharat Kosh में जमा की जा चुकी है।
- Legacy Data सम्बन्धित विवरणों का अंकन PFMS पोर्टल पर पूर्ण करा लिया गया है।

#### 5- SNA की वर्तमान स्थिति-

- अद्यतन रु 362 करोड़ की धनराशि SNA खाते में अवशेष है जो कि कुल स्वीकृत धनराशि का मात्र 7.4% है।
- उल्लेखनीय है कि SNA में अवशेष उक्त रु 362 करोड़ में रु 24.67 करोड़ की अतिरिक्त राज्यांश की धनराशि भी सम्मिलित है, जिसको केन्द्रांश की प्रत्याशा में (रु 50 करोड़ से अधिक लागत की दो परियोजनाओं हेतु) अवमुक्त किया गया है। इसको घटाने पर SNA खातों में कुल स्वीकृत धनराशि का मात्र 6.9% अंश ही उपलब्ध है।

इसी तारतम्य में यह विचारणीय होगा कि 20% धनराशि Flexi/Floating Fund के रूप में उपलब्ध होने पर निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य बिना किसी वित्तीय अवरोध के सुचारु रूप से किया जा सकता है।

#### 6- केन्द्रांश की धनराशि अग्रोत्तर अवमुक्त हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें-

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पत्र सं०-21/14/2023 दिनांक 29.05.2023 पत्र सं०-एम०एस०डी०पी०-21/14/2023 दिनांक 28.08.2023 एवं पत्र सं०-21/14/2023 दिनांक 22.09.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि पत्र में अंकित शर्तों के अनुसार कार्यवाही/प्रगति किये जाने के उपरान्त ही भारत सरकार द्वारा अग्रोत्तर केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त की जा सकेगी। इन शर्तों की पूर्ति की प्रास्थिति निम्नवत् हैं-

- 75% से अधिक के उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने की शर्त के सापेक्ष प्रदेश सरकार द्वारा कुल रु 2012.78 करोड़ केन्द्रांश के उपभोग प्रमाण पत्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित कर मिलान करवाए गये हैं, जो कि अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि का 76% है। (निर्धारित लक्ष्य से अधिक है)
- जियो टैगिंग हेतु लक्षित परियोजनाओं के सापेक्ष 72% की उपलब्धि प्राप्त की गई है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य हेतु आवंटन के सापेक्ष 50% से कम धनराशि SNA में होने की शर्त को कार्यहित में एक बार शिथिल करने (one time relaxation) पर विचार करने का अनुरोध है।

7- अवगत कराना है कि 100 से अधिक निर्माणाधीन परियोजनाओं के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि लगभग रु 255 करोड़ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किया जाना लम्बित है। यह परियोजनायें काफी समय पूर्व स्वीकृत परियोजनाये हैं और केन्द्रांश की धनराशि के अभाव में इनका कार्य बाधित है।

इन परियोजनाओं में 05 डिग्री कालेज, 03 राजकीय पालिटेक्निक, 08 राजकीय इण्टर कालेज, 23 राजकीय आई0टी0आई0, 05 पाइप पेयजल एवं कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाए सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त रु 50 करोड़ से अधिक लागत की 03 बड़ी परियोजनाओं-सांस्कृतिक सद्भावना केन्द्र, रामपुर, यूनानी मेडिकल कालेज, वरेली एवं सीवरंज ट्रीटमेन्ट प्लान, बलरामपुर का कार्य भी धनराशि के अभाव में बाधित है। केन्द्रांश के अभाव में कार्यदायी संस्थाओं को अग्रेतर धनराशि अवमुक्त किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है जिस कारण से इन निर्माणाधीन परियोजनाओं में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन की प्रबल आशंका है।

सूच्य है कि इनमें से 15 परियोजनाओं के उपभोग प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जांच रिपोर्ट निदेशालय स्तर पर प्राप्त हो चुके हैं। रु 50 करोड़ के अधिक की उक्त दो परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए 17 परियोजनाओं (सूची संलग्न) हेतु कुल रु 73.7712 करोड़ केन्द्रांश की तत्काल आवश्यकता है। सन्दर्भित परियोजनायें राज्य की महत्वकांक्षी परियोजनायें हैं, जिन्हें समय से पूर्ण कराकर लोकार्पण किया जाना जनहित में होगा। अनुरोध है कि प्रदेश हेतु स्वीकृत अवशेष केन्द्रांश में से रु 73.7712 करोड़ यथाशीघ्र अवमुक्त करने पर नियमानुसार विचार करना चाहें, जिसे प्रदेश सरकार द्वारा त्वरित रूप से कार्यदायी संस्थाओं को स्वीकृत किया जा सकेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

संलग्नक

भवदीया

(16) 2

(मोनिका एस0 गर्ग)

श्री के0 श्रीनिवास,

सचिव,

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

11वां तल, प0 दीन दयाल अन्तोदया भवन

सी0जी0ओ0 काम्लेक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली - 110 003

Sr	जनपद का नाम	कार्यकारी संस्था का नाम	योजना	परियोजना का नाम	अनुमोदित कुल धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त हेतु अवशेष धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	निर्माण की अवधि	UC Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रामपुर	लोक निर्माण विभाग	Sanskritik Sadbhav Mandap	सांस्कृतिक सदावना केन्द्र रामपुर	9200.000	5520.000	1380.000	1380.000	0.000	1	3137 21.09.2023
2	बरेली	लोक निर्माण विभाग	UNANI MEDICAL COLLEGE	बरेली हेड क्वार्टर में राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज का निर्माण	12950.500	9712.880	3237.620	1942.572	1295.048	1	2274 03.08.2023
3	बलरामपुर	निर्माण एवं परिकल्पना सेवाएं वि०@या० नलकूप विंग 30प्र० जल निर्माण	STP	सीवेज ट्रीटमेन्ट वर्क	12376.320	7735.200	1547.040	1547.040	0.000	1	2274 03.08.2023
4	गाजीपुर	30प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०	ITI	भदोरा में राजकीय आई०टीआई० का निर्माण	1260.000	630.000	630.000	378.000	252.000	1	4455 04.01.23
5	गोण्डा	30प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०	ITI	बनजोत में राजकीय आई०टीआई० का निर्माण	1260.000	630.000	630.000	378.000	252.000	1	2583 23.08.23
6	जौनपुर	30प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०	ITI	राजकीय महिला आई०टीआई० सिट्थीकपुर का निर्माण एवं नये 06 टेड	1178.860	589.430	589.430	353.658	235.772	1	313 10.08.2023
7	शामली	30प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०	ITI	उन (पिन्डौर) में राजकीय महिला आई०टीआई० का निर्माण	1260.000	630.000	630.000	378.000	252.000	1	252 15.12.23
8	सहारनपुर	30प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०	ITI	राजकीय आई०टीआई० नागल	996.740	498.370	498.370	299.022	199.348	1	882 30.01.24
9	हरदोई	30प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम (यू०पी०)	ITI	वि०एच० सपडीला में राजकीय आई०टीआई० का निर्माण	1123.170	561.590	561.580	336.948	224.632	1	5110 31.01.24
10	कानपुर नगर	30प्र० वक्फ विकास निगम	WORKING WOMEN HOSTEL	कानपुर (सी०बी०) में वॉकिंग वूमन हॉस्टल का निर्माण	250.000	125.000	125.000	75.000	50.000	1	3514 18.10.23
11	अमेठी	30प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०	SADBHAV MANDAP	विकास खण्ड जनदीशपुर के ग्राम कठौरा में सदाव मण्डप का निर्माण	234.000	70.200	70.200	42.120	28.080	1	337 06.09.23
12	उन्नाव	30प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०	SADBHAV MANDAP	नगर पालिका परिषद उन्नाव के ग्राम गदतखेड़ा में सदाव मण्डप का निर्माण	234.000	70.200	70.200	42.120	28.080	1	2899 08.09.2023
13	गोण्डा	30प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०	SADBHAV MANDAP	बनजोत में सदाव मण्डप का निर्माण	234.000	140.400	93.600	56.160	37.440	1	3404 10.10.23
14	बुलन्दशहर	30प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०	SADBHAV MANDAP	विकास खण्ड-गलावटी के बराल में सदाव मण्डप का निर्माण	234.000	70.200	70.200	42.120	28.080	1	2583 23.08.23
15	मऊ	30प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०	SADBHAV MANDAP	नगर पालिका परिषद में सदाव मण्डप का निर्माण	234.000	70.200	70.200	42.120	28.080	1	4823 12.01.24
16	महोबा	30प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०	SADBHAV MANDAP	महोबा के नानेशपुर में सदाव मण्डप का निर्माण	234.000	70.200	70.200	42.120	28.080	1	3073 04.01.2021
17	हापड़	30प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०	SADBHAV MANDAP	विकास खण्ड हापड़ के देहरा में सदाव मण्डप का निर्माण	234.000	70.200	70.200	42.120	28.080	1	3073 04.01.2021
					43493.590	27194.070	10343.840	7377.120	2966.720	17	0

## ANNEXURE-22

92-1039/29/2021-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वस्त्र अनुभाग-1-Minority Welfare and Weaf Department

17/05/23/2024

श्रीम प्रकाश राजभर  
मंत्री  
पंचायती राज तथा अल्पसंख्यक  
कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हजा



अ.सं.शा.पत्रसं.-1058/52-1-2024  
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1  
उत्तर प्रदेश शासन  
गान्धारी  
सबनऊ दिनांक: 05 अक्टूबर, 2024

प्रिय सहोदय,

कृपया अवगत हों कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनामार्गत प्रदेश में निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराकर उसे जनोपयोगी बनाया जाना प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इसलिये योजनामार्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का प्रभावी अनुसंधान करके प्रतिदिन 01 परियोजना को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके सापेक्ष वर्ष 2023-24 में कुल 408 व वर्तमान वर्ष के प्रथम दो महीने में 204 परियोजनाओं को क्रियाशील किया गया है।

आपने संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि भारत सरकार से अद्यतन प्राप्त केन्द्रांश रु० 2890.96 करोड़ के सापेक्ष रु० 2598.58 करोड़ की धनराशि का व्यय करते हुए रु० 2042.78 करोड़ के उपभोग प्रमाण पत्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित किये गये हैं जो कुल धनराशि का 76% है। कुल अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष 96% धनराशि के व्यय प्रमाण पत्र अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

2. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण के पत्र संख्या-316/52-1-2024 दिनांक 22.03.2024 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसके माध्यम से तत्तमय ऐसी परियोजनाओं, जिनके उपभोग प्रमाण-पत्र निदेशालय स्तर पर प्राप्त हो गये थे, को पूर्ण कराये जाने हेतु रु० 62.46 करोड़ केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया था। वर्तमान में कई अन्य परियोजनाओं के उपभोग प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो चुके हैं। इनके सापेक्ष धनराशि अवमुक्त कर इन्हें पूर्ण कराये जाने के निमित्त लगभग रु० 70.00 करोड़ के केन्द्रांश की धनराशि की आवश्यकता है। अनुरोध है कि केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किया जाना कार्यद्वि में होगा जिससे कि निर्माण कार्य निबाध रूप से चल सके और इन परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण कर जनोपयोगी किया जा सके।

3. यह भी अवगत कराना है कि रु० 50 करोड़ के अधिक लागत की 03 परियोजनाएँ यथा- सांस्कृतिक सदभावना केन्द्र, रामपुर, यूनानी मेडिकल कालेज, चरेली तथा सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, बलरामपुर निर्माणाधीन हैं। सांस्कृतिक सदभावना केन्द्र, रामपुर की परियोजना में कुल केन्द्रांश रु० 2760.00 लाख तथा सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, बलरामपुर हेतु केन्द्रांश रु० 3094.08 लाख भारत सरकार के स्तर पर अवमुक्त किया जाता लम्बित है। इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण कराकर जनोपयोगी बनाये जाने की अपरिहार्यता के दृष्टिगत केन्द्रांश की प्रत्याशा में राज्य स्तर से सांस्कृतिक सदभावना केन्द्र, रामपुर एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, बलरामपुर हेतु राज्यांश की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जा चुकी है। केन्द्रांश के अभाव में राज्य की अत्यन्त महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकी है।

सूच्य है कि सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, बलरामपुर परियोजना के सम्बन्ध में मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-433/2022Pateshwarl Prasad Singh Vs State of U.P. व अन्य

में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 में परियोजना का कार्य निर्धारित समय सारणी के अनुसार 03 माह में पूर्ण कर अनुपालन आख्या से अवगत कराने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश के अनुपालन में अग्रेतर स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से अबिलम्ब केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने की अपरिहार्य आवश्यकता परिलक्षित हो रही है। चूंकि पूर्व में ही इस परियोजना हेतु केन्द्रांश की प्रत्याशा में राज्यांश अवमुक्त किया जा चुका है, अतः केन्द्रांश प्राप्त किये बिना राज्य स्तर से अब धनराशि दिया जाना सम्भव नहीं होगा और मा. न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में कठिनाई होगी। अतः निर्माणाधीन परियोजनाओं हेतु प्रतिवद्ध केन्द्रांश शीघ्र अवमुक्त होना अति आवश्यक है।

4. अवगत हों कि भारत सरकार की 39वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 27.09.2023 में जनपद अमेठी स्थित विभिन्न परियोजनाओं (निहित धनराशि रु० 88.2362 करोड़) हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 27.09.2023 के निर्गत कार्ययुक्त दिनांक 06.10.2023 द्वारा इन परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी किन्तु इन परियोजनाओं हेतु अद्यतन कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है। सम्प्रति राज्य सरकार के SNA पूल फण्ड में इस निमित्त धनराशि उपलब्ध नहीं है और SNA में प्रदर्शित उपलब्ध धनराशि विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराये जाने के निमित्त लिमिट के माध्यम से कार्यवाही संस्थाओं को अवमुक्त की जा चुकी है। ऐसी वशा में 39वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 27.09.2023 में स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

5. वित्तीय वर्ष 2023-24 में सम्पन्न राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 24.12.2023 में प्रदेश के 14 जनपदों के कुल 110 प्रस्ताव (निहित धनराशि रु० 143.6954 करोड़) स्वीकृत किये जाने के उपरान्त भारत सरकार की इम्पावर्ड कमेटी के विचारार्थ प्रस्तुत किये गये थे। भारत सरकार की इम्पावर्ड कमेटी द्वारा उक्त प्रस्तावों पर विचार किया जाना अपेक्षित है।

विभिन्न चुनौतियों के बावजूद प्रदेश में योजनान्तर्गत प्राप्त की गयी उल्लेखनीय प्रगति के दृष्टिगत अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्त-2 व 3 में उल्लिखित परिस्थितियों के आलोक में पूर्व स्वीकृत एवं अद्यतन निर्माणाधीन परियोजनाओं के सापेक्ष द्वितीय बिशत के रूप में प्रतिवद्ध केन्द्रांश की धनराशि रु० 70.00 करोड़ अबिलम्ब अवमुक्त करने हेतु सम्यन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे कि इन परियोजनाओं को पूर्ण कराकर कर इन्हें जनोपयोगी बनाया जा सके।

सारदा

भवदीय,

Signed by  
(ओमप्रकाशसिंह) Prakash Singh  
Date: 04-11-2024 13:43:24

श्री फिरेन रिजिजू,  
मा. मंत्री,  
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार,  
11वां तल, पं. दीनदयाल अन्वयोदय भवन,  
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड,  
नई दिल्ली।